निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1948 (श0)

**संख्या** 31 **पटना, बुधवार,**——————————

5 अगस्त 2026(ई0)

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। | **02-29** |
| भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। | --- |
| भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | --- |
| भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि | --- |
| भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। | --- |
| भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। | --- |
| भाग-4–बिहार अधिनियम | --- |
| भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। | --- |
| भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-9–विज्ञापन | --- |
| भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं | --- |
| भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। | **30-34** |
| पूरक | **35** |
| पूरक-क | --- |

# भाग–1

## नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

**खेल विभाग**

————————

**अधिसूचना**

**31 जुलाई 2026**

**सं० 5/खे.नी. 4–01/2024–2962**––बिहार राज्य में खेल के सर्वांगीण विकास, खिलाड़ियों की क्षमता वृद्धि, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करने एवं बिहार को एक अग्रणी खेल राज्य के रूप में विकसित करने हेतु **''बिहार खेल नीति, 2026''** संलग्न प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) के रूप में अधिसूचित की जाती है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**निरंजन कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।**

### बिहार खेल नीति 2026

**परिचय**

बिहार ने खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है और अब यह राज्य एक संरचित, समावेशी और प्रदर्शन-केंद्रित खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रति प्रतिबद्ध रूप में उभरा है। यह प्रगति राज्य की व्यापक प्रशासनिक सुधारों पर आधारित है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में विशाल उन्नति, अवसंरचना और संपर्क में तेजी, बिहार पर्यटन नीति 2024–25, और परिवर्तनकारी निश्चय योजनाएँ शामिल हैं, जिन्होंने मानव संसाधन, अवसंरचना और संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाया है। ये प्रणालीगत सुधार खेल को युवाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक अवसर और सामाजिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जो गौरवशाली बिहार 2047 के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

**दृष्टिकोण और उद्देश्य**

**दृष्टिकोण**

बिहार खेल नीति 2026 का **दृष्टिकोण** "खेल से गौरवशाली बिहार - समावेशी विकास और उत्कृष्टता के लिए उत्प्रेरक के रूप में खेल" है। यह नीति बिहार को एक अग्रणी खेल राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है, जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता और वैश्विक पोडियम सफलता में निर्णायक योगदान दे, साथ ही खेल को सामाजिक परिवर्तन, युवा सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नति के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में बढ़ावा दे। यह एक एकीकृत, एथलीट-केंद्रित और प्रदर्शन-उन्मुख खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की परिकल्पना करता है, जो जमीनी स्तर की भागीदारी से लेकर विशिष्ट (एलीट) उपलब्धि तक व्यवस्थित प्रगति को सक्षम बनाता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक बेंचमार्क के साथ संरेखित हो ताकि बिहार को एक प्रतिस्पर्धी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार खेल गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

**उद्देश्य**

इस दृष्टि को साकार करने के लिए नीति निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है:

1. सार्वभौमिक पहुंच और प्रगतिशील एथलीट विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायत, प्रखंड (ब्लॉक), जिला और राज्य स्तर पर एक न्यायसंगत और स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा विकसित करना।
2. बिहार के प्रतिस्पर्धी मार्ग को मजबूत करने और ओलंपिक खेल 2032 सहित प्रमुख बहु-खेल आयोजनों में प्रतिनिधित्व सक्षम करने के लिए संरचित प्रतिभा पहचान, एथलीट विकास और उच्च-प्रदर्शन प्रणालियों को संस्थागत बनाना, जिसमें 2036 तक पोडियम सफलता का लक्षित प्रयास हो।
3. वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों, निरंतर कोचिंग विकास और एकीकृत खेल विज्ञान सहायता प्रणालियों के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
4. दक्षता, अखंडता और मापने योग्य प्रदर्शन परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम-संचालित शासन तंत्र स्थापित करना।
5. दीर्घकालिक खेल उत्कृष्टता और एक स्वस्थ समाज के लिए बुनियादी स्तंभों के रूप में जन-भागीदारी और शारीरिक साक्षरता को प्रोत्साहित करना।
6. आर्थिक विकास, उद्यमिता, रोजगार सृजन और पर्यटन विकास के लिए खेल को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना।
7. राज्य के प्रतिभा आधार और खेल पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक बनाने के लिए लिंग, भूगोल, क्षमता और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में समावेशी पहुंच और समान अवसर सुनिश्चित करना।

**नीति के मुख्य स्तंभ**

बिहार खेल नीति - 2026 राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है।

1. **राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता:** प्रतिभा को निखारने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने पर केंद्रित, इस स्तंभ का उद्देश्य बिहार के एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।
2. **आर्थिक विकास के लिए खेल:** खेल को आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हुए, यह स्तंभ पर्यटन, विनिर्माण और खेल तकनीक सहित खेल-संचालित उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो रोजगार और निवेश के अवसरों में योगदान देता है।
3. **सामाजिक कल्याण के लिए खेल:** यह स्तंभ खेल के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक एकजुटता पर जोर देता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए पहुंच और अवसर सुनिश्चित होते हैं, सामुदायिक जुड़ाव और समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है।
4. **खेल और शिक्षा एकीकरण:** शिक्षा के साथ संरेखित करते हुए, यह स्तंभ छात्रों और युवाओं के बीच जीवन कौशल, नेतृत्व और शैक्षणिक-एथलेटिक उत्कृष्टता विकसित करने के लिए खेलों को शिक्षा के साथ एकीकृत करता है।

साथ मिलकर, ये चार स्तंभ बिहार को खेल उत्कृष्टता, सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक विकास का केंद्र बनाने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं।

**स्तंभ संख्या I – राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता**

**1. बुनियादी ढांचा**

1.1. बिहार ने पंचायत-स्तरीय खेल के मैदानों, प्रखंड-स्तरीय मिनी स्टेडियमों, जिला खेल भवन-सह-व्यायामशालाओं और प्रमंडल-स्तरीय खेल परिसरों तक फैले एक बहु-स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा ढांचे का निर्माण किया है, जिसका समापन पाटलिपुत्र खेल परिसर, पटना और राज्य खेल अकादमी, राजगीर जैसे प्रमुख केंद्रों में होता है। क्षेत्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्य भर में चौदह अतिरिक्त प्रमुख खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं।

1.2. पदक की उच्च क्षमता वाले खेलों के लिए विशेष बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें एक अत्याधुनिक शूटिंग रेंज, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, वेलोड्रोम और खेल-विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं।

1.3. दीर्घकालिक योजनाओं में पाटलिपुत्र खेल परिसर का पुनर्विकास और डुमरी, पटना में एक विश्व स्तरीय 'स्पोर्ट्स सिटी' का विकास शामिल है, जो एक स्थायी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ढांचे के भीतर स्टेडियमों, उच्च-प्रदर्शन अकादमियों और संबद्ध सुविधाओं को एकीकृत करेगा।

1.4. अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित संपत्तियों के माध्यम से खेल के बुनियादी ढांचे को और बढ़ाया गया है, जिसमें ऊर्जा स्टेडियम (ऊर्जा विभाग), बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस खेल सुविधाएं और शहरी स्थानीय निकाय परिसर शामिल हैं।

1.5. बिहार में खेल बुनियादी ढांचे का विकास ग्रामीण विकास, शिक्षा और खेलो इंडिया विभागों के साथ एक अभिसरण (Convergent) मॉडल के रूप में किया गया है, जो एकीकृत योजना, इष्टतम संसाधन उपयोग और समन्वित शासन को दर्शाता है। यह सहयोगात्मक और अभिसरण मॉडल एक सर्वोत्तम अभ्यास (Best Practice) के रूप में उभर रहा है, जो एकीकृत योजना, इष्टतम संसाधन उपयोग और समन्वित शासन को दर्शाता है। वर्तमान खेल बुनियादी ढांचा, परिचालन मॉडल और शासन संरचना निम्नानुसार है:

| स्तर | बुनियादी ढांचा | परिचालन मॉडल |
|---|---|---|
| **पंचायत** | सामुदायिक खेल के मैदान | खुली सामुदायिक पहुंच, जमीनी स्तर पर खेल जुड़ाव, स्थानीय टूर्नामेंटों का आयोजन, शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम |
| **प्रखंड (ब्लॉक)** | मिनी स्टेडियम | संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रखंड-स्तरीय प्रतियोगिताएं, कोचिंग का प्रावधान |
| **जिला** | खेल भवन-सह-व्यायामशाला एवं जिला खेल परिसर | जिला उत्कृष्टता केंद्र, जिला-स्तरीय चैंपियनशिप, कोचिंग कैंप, और संरचित 'पे-एंड-प्ले' (Pay-and-Play) सुविधाएं |
| **क्षेत्रीय स्तर** | 14 प्रमुख खेल परिसर | राज्य/जिला उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय चैंपियनशिप, उन्नत कोचिंग कैंप, और संरचित 'पे-एंड-प्ले' सुविधाएं |
| **प्रमंडल** | खेल परिसर | राज्य/जिला उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय चैंपियनशिप, उन्नत कोचिंग कैंप, और संरचित 'पे-एंड-प्ले' सुविधाएं |
| **राज्य / क्षेत्रीय स्तर** | उच्च-प्रदर्शन केंद्र, प्रमुख खेल परिसर एवं राज्य खेल अकादमी | विशिष्ट एथलीट प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, केंद्रीकृत अकादमियां, और खेल विज्ञान एकीकरण |

1.6. उद्देश्य-संचालित और आवश्यकता-आधारित तरीके से खेल बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने और उनके अधिकतम उपयोग को सक्षम करने के लिए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:

1.6.1. **अन्य विभागों/योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) में खेल बुनियादी ढांचे का विकास:** संसाधनों को अनुकूलित करने, बहु-क्षेत्रीय सहायता सुनिश्चित करने और पूरे बिहार में प्रभाव को अधिकतम करने के लिए संबंधित राज्य विभागों और मौजूदा केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ समन्वय में खेल बुनियादी ढांचे का विकास।

1.6.2. **इष्टतम, समावेशी और टिकाऊ बुनियादी ढांचा उपयोग:** "स्पोर्ट्स फॉर ऑल" (सभी के लिए खेल) सिद्धांत के तहत संरचित "कम एंड प्ले" / "पे एंड प्ले" मॉडल, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से खेल बुनियादी ढांचे का

अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, वित्तीय स्थिरता, सार्वभौमिक पहुंच, उचित रखरखाव और दीर्घकालिक सार्वजनिक मूल्य सुनिश्चित करना।

1.6.3. **विविधीकृत वित्तपोषण और संसाधन जुटाना:** बुनियादी ढांचे के विकास और दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए के तहत धन, निजी क्षेत्र के निवेश, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण सहित वैकल्पिक वित्तपोषण मार्गों का लाभ उठाना।

1.6.4. **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और डेटा-संचालित योजना:** बेहतर उपयोग, पारदर्शिता, निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीति नियोजन को सक्षम करने के लिए राज्य भर की सभी खेल सुविधाओं का एक व्यापक, जियो-टैग डिजिटल भंडार बनाना।

1.6.5. **विशिष्ट (Niche), आवश्यकता-आधारित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान:** पदक क्षमता, समावेशिता और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देते हुए विशिष्ट, उच्च-प्रभाव और मांग-संचालित बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना। इसके अतिरिक्त, मौजूदा और नए खेल बुनियादी ढांचे को आवश्यक संबद्ध सुविधाओं, जिसमें आवासीय आवास, शौचालय, चेंजिंग रूम, जिम और अन्य सहायक सुविधाएं शामिल हैं, उनके रखरखाव के साथ प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा।

1.6.6. **समर्पित बुनियादी ढांचा प्रभाग/अनुभाग:** रणनीतिक योजना, रखरखाव की निगरानी, प्रदर्शन की निगरानी और नवीन खेल बुनियादी ढांचा प्रथाओं के लिए खेल विभाग द्वारा एक विशेष प्रभाग की स्थापना।

1.6.7. **खेल बुनियादी ढांचे के लिए मॉडल डिजाइन:** खेल बुनियादी ढांचे के लिए मॉडल डिजाइन विकसित और प्रकाशित किए जाएंगे जो पूरे राज्य में सुविधाओं के नियोजन, निर्माण और उन्नयन के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करेंगे।

1.6.8. **स्पोर्ट्स-फर्स्ट (खेल-प्रथम) नीति:** खेल बुनियादी ढांचे को विशेष रूप से खेल और संबंधित गतिविधियों के लिए समर्पित किया जाएगा। गैर-खेल उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनुमति केवल असाधारण मामलों में ही दी जा सकती है, जिसमें सुविधाओं की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सख्त सावधानी बरती जाएगी।

**2. प्रतिभा पहचान (Talent Identification)**

**2.1.** बिहार ने एक वैज्ञानिक रूप से संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रतिभा पहचान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है, जो मानकीकृत मूल्यांकन प्रोटोकॉल, संरचित परीक्षण बैटरी और निरंतर प्रदर्शन निगरानी का लाभ उठाता है।

**2.2.** इस प्रणाली के तहत, भारत की सबसे बड़ी प्रतिभा खोज पहल कई विषयों में उच्च-क्षमता वाले एथलीटों की पहचान करने के लिए स्कूल, क्लस्टर संसाधन केंद्र (CRC), प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर व्यवस्थित मूल्यांकन आयोजित करती है। ऐसे चयनित एथलीटों को उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जाता है।

**2.3.** साक्ष्य-आधारित चयन और रणनीतिक योजना को सक्षम करने के लिए प्रदर्शन डेटा और परीक्षण परिणामों को कैप्चर करने हेतु एक व्यापक डिजिटल एथलीट रिपोजिटरी (भंडार) भी विकसित की गई है। साथ मिलकर, ये पहल बिहार में खेल उत्कृष्टता की पहचान करने और उसे निखारने के लिए एक मजबूत, डेटा-संचालित और योग्यता-उन्मुख ढांचा बनाती हैं।

**2.4.** इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चयन परीक्षण वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रोटोकॉल के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रदर्शन परीक्षण और अनिवार्य आयु सत्यापन शामिल है।

2.5. एक संरचित प्रतिभा पहचान प्रणाली विकसित करने और "कैच देम यंग" (उन्हें कम उम्र में पहचानें) के दर्शन को अपनाने के लिए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:

2.5.1. **वैज्ञानिक प्रतिभा पहचान ढांचा:** मौजूदा तकनीक-संचालित, वैज्ञानिक प्रतिभा पहचान प्रणाली को मजबूत करना जिसमें योग्यता-आधारित एथलीट चयन और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परीक्षण, समय-समय पर मूल्यांकन, आयु-सत्यापन और निरंतर निगरानी शामिल होगी। प्रदर्शन की समीक्षा करने और केवल उच्च-क्षमता वाले एथलीटों को बनाए रखने के लिए एक वार्षिक वैज्ञानिक 'वीड-आउट' (छंटनी) नीति लागू की जाएगी।

2.5.2. **जमीनी स्तर पर पहल का विस्तार:** जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान को एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में संस्थागत बनाना और अतिरिक्त खेल विधाओं तक इसका विस्तार करना।

2.5.3. **शारीरिक शिक्षा शिक्षक स्काउट (Scouts) के रूप में:** शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित करके और उन्हें प्रतिभा पहचान के लिए तैनात करके स्काउटिंग नेटवर्क को मजबूत करना।

2.5.4. **एकीकृत डिजिटल एथलीट रिपोजिटरी:** एथलीट प्रोफाइल, वैज्ञानिक परीक्षण परिणामों, प्रतियोगिता प्रदर्शन और दीर्घकालिक विकास संकेतकों को कैप्चर करने वाले एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार का निर्माण। यह डेटा-संचालित प्रणाली साक्ष्य-आधारित चयन, प्रशिक्षण अनुकूलन, प्रदर्शन विश्लेषण और रणनीतिक योजना का समर्थन करेगी।

2.5.5. **प्रतिभा पहचान एवं विकास समिति (TIDC):** खेल-विशिष्ट और समर्पित प्रतिभा पहचान और विकास समिति (TIDC) का गठन, जिसमें विषय-विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित कोच शामिल होंगे और जो राज्य भर में एथलीटों का आकलन करेंगे, प्रगति की निगरानी करेंगे और प्रतिभा विकास पहल को मजबूत करेंगे।

2.5.6. **राष्ट्रीय संघों/उत्कृष्टता अकादमियों/प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ सहयोग:** राज्य और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रतिभा पहचान को बेंचमार्क करने और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय संघों, उत्कृष्टता अकादमियों और प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साथ सहयोग किया जाएगा।

**1. प्रशिक्षण (Training)**

**3.1.** बिहार ने एक व्यापक और संरचित प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है जो एथलीटों के विकास के हर चरण में, जमीनी स्तर की भागीदारी से लेकर विशिष्ट उच्च-प्रदर्शन खेल तक, सहायता प्रदान करता है। राज्य एक स्पष्ट रूप से परिभाषित पदानुक्रमित मार्ग का अनुसरण करता है जो सामुदायिक और जिला-स्तरीय कार्यक्रमों से शुरू होता है, जिला उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है, राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और उच्च-प्रदर्शन केंद्रों एवं अन्य अवसंरचना के उन्नत प्रशिक्षण वातावरण में समाप्त होता है। यह संरचित पिरामिड एथलीट की सुचारू प्रगति, दीर्घकालिक विकास, वैज्ञानिक सहायता और निरंतर प्रदर्शन वृद्धि सुनिश्चित करता है।

**3.2.** राज्य ने बिहार के एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं, विशेषज्ञ कोचिंग और उच्च-प्रदर्शन सहायता प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने के लिए 'उत्कृष्टता अकादमियों' (Academies of Excellence), प्रतिष्ठित खिलाड़ियों द्वारा संचालित अकादमियों और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ समझौते किए हैं।

**3.3.** बिहार में प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:

- **1.3.1. दीर्घकालिक एथलीट विकास योजना (LTAD) तैयार करना:** जमीनी स्तर से विशिष्ट स्तर तक संरचित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए खेल-विशिष्ट LTAD योजनाएं तैयार करना, जिसमें आयु-उपयुक्त प्रशिक्षण, वैज्ञानिक इनपुट और परिभाषित प्रदर्शन मील के पत्थर शामिल हों।
- **1.3.2. खेल विधाओं का प्राथमिकताकरण:** केंद्रित निवेश और इष्टतम संसाधन आवंटन को सक्षम करने के लिए पदक की संभावना, प्रतिभा पूल और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के आधार पर खेल विधाओं की पहचान और प्राथमिकता तय करना।
- **1.3.3. प्रशिक्षण केंद्रों को सुदृढ़ करना और मानदंडों का निर्धारण:** स्पष्ट रूप से परिभाषित परिचालन और प्रदर्शन मानकों द्वारा समर्थित, जिलों में एकलव्य खेल स्कूलों, जिला उत्कृष्टता केंद्रों, राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और राज्य खेल अकादमी, राजगीर एवं पाटलिपुत्र खेल परिसर में उच्च-प्रदर्शन केंद्रों के एक संरचित नेटवर्क की स्थापना।
- **1.3.4. राष्ट्रीय खेल महासंघों/अकादमियों के साथ सहयोग:** राष्ट्रीय खेल महासंघों/उत्कृष्टता अकादमियों/प्रतिष्ठित खिलाड़ियों द्वारा संचालित अकादमियों के साथ औपचारिक साझेदारी करना और समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उच्च-क्षमता और उच्च-प्रदर्शन वाले एथलीटों को इन अकादमियों में उन्नत, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, नीति राज्य भर में खेल अकादमियों की स्थापना और संचालन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता लाने हेतु रणनीतिक सहयोग का आह्वान करती है, जिससे प्रशिक्षण प्रणालियाँ पेशेवर और राष्ट्रीय स्तर पर बेंचमार्क मानकों को पूरा करें।
- **1.3.5. अकादमियों का प्रत्यायन (Accreditation):** स्कूलों, कॉलेजों और खेल अकादमियों के लिए एक प्रत्यायन ढांचा तैयार करना, जिसमें स्पष्ट मानदंड और पात्रता शर्तें निर्धारित हों। मान्यता प्राप्त संस्थान परिभाषित राज्य सहायता के लिए पात्र होंगे, जिससे गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकृत विकास मार्ग सुनिश्चित होगा।
- **1.3.6. सुरक्षा, नैतिकता और व्यावसायिकता पर ध्यान:** डोपिंग, आयु धोखाधड़ी, उत्पीड़न, भेदभाव और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ अखंडता, एथलीट सुरक्षा और व्यावसायिकता को बिहार के खेल पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य स्तंभों के रूप में स्थापित करना। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सख्त अनुपालन तंत्र निष्पक्ष खेल और स्वच्छ खेल सुनिश्चित करेगा।
- **1.3.7. डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** सभी प्रशिक्षण स्तरों पर दक्षता, पारदर्शिता और वैज्ञानिक परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन ट्रैकिंग, प्रशिक्षण भार प्रबंधन, वीडियो विश्लेषण और डेटा-संचालित कोचिंग हेतु डिजिटल उपकरणों का एकीकरण।
- **1.3.8. समावेशिता और उत्कृष्टता:** लक्षित हस्तक्षेपों और महिला कल्याण नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और पैरा-स्पोर्ट्स उत्कृष्टता को प्राथमिकता देना। सुलभ बुनियादी ढांचे, समावेशी नीतियों और समान अवसरों पर जोर दिया जाता है ताकि बिना किसी बहिष्कार के उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके।

**2. एथलीट-केंद्रित सहायता (Athlete-Centric Support)**

**2.1.** बिहार राज्य ने एक व्यापक 'एथलीट-प्रथम' 360-डिग्री सहायता प्रणाली स्थापित की है जो खेल मार्ग के हर चरण में—प्रतिभा पहचान से लेकर उच्च-प्रदर्शन की तैयारी तक—संरचित सहायता प्रदान करती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र विकासात्मक, प्रतिस्पर्धी, वित्तीय और कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करता है, जिससे एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

**2.2.** राज्य खेल छात्रवृत्ति नीति के तहत, एथलीटों को प्रदर्शन बेंचमार्क और पदक क्षमता के आधार पर वार्षिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। उच्च प्रदर्शन करने वालों को नकद पुरस्कार देकर उत्कृष्टता को और प्रोत्साहित किया जाता है। चिकित्सा उपचार और चोट पुनर्वास के लिए सहायता सुनिश्चित करता है, जबकि विदेशी एक्सपोजर वैश्विक बेंचमार्किंग और तैयारी बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।

**2.3. एथलीट-केंद्रित सहायता ढांचे को मजबूत करने के लिए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:**

- **2.3.1. एथलीटों को 360 डिग्री सहायता का सुदृढ़ीकरण:** बीमा कवरेज, संरचित आउट-ऑफ-पॉकेट प्रशिक्षण भत्ता और अन्य एथलीट-केंद्रित सुरक्षा उपायों को शामिल करके बिहार की सहायता प्रणाली को और

गहरा करना। निरंतर प्रदर्शन और पोडियम तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम संख्या में उच्च-क्षमता वाले एथलीटों को संरचित उत्कृष्टता पथ पर लाने पर रणनीतिक ध्यान दिया जाएगा।

- **2.3.2. शिक्षा और जीवन-कौशल कार्यक्रमों पर ध्यान:** गहन प्रशिक्षण के साथ-साथ निर्बाध स्कूली शिक्षा को सक्षम करने के लिए संरचित शैक्षणिक सहायता सुनिश्चित करना, जिसमें लचीला पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण केंद्रों पर ट्यूटर्स तक पहुंच और अन्य शामिल हैं। एथलीटों को खेल के मैदान के अंदर और बाहर सफल होने के लिए आवश्यक दक्षताओं से लैस करने हेतु समर्पित जीवन-कौशल कार्यक्रमों का प्रावधान।
- **2.3.3. सुरक्षा और एथलीट संरक्षण नीति:** दुरुपयोग या दुराचार के लिए शून्य सहनशीलता और समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रिपोर्टिंग चैनलों, अनिवार्य POSH अनुपालन और एक स्वतंत्र व्हिसलब्लोअर तंत्र के साथ एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली पेश की जाएगी।
- **2.3.4. बिहार ओलंपिक पोडियम मिशन:** भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS)' की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय योजना शुरू करना, ताकि उच्च-क्षमता और उच्च-प्रदर्शन वाले एथलीटों को प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
- **2.3.5. राज्य खेल विकास कोष (SSDF):** बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहनों के साथ सरकार, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और एनआरआई (NRIs) से संसाधन जुटाने हेतु 'राष्ट्रीय खेल विकास कोष' की तर्ज पर SSDF की स्थापना।

**3. एथलीट कल्याण (Athlete Welfare)**

**3.1.** खिलाड़ियों की सुरक्षा का महत्व न केवल उनके प्रतिस्पर्धी करियर के दौरान है, बल्कि सक्रिय खेल जीवन के उपरांत उनके पुनर्वास एवं आगे के जीवन की तैयारी के काल में भी है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों से सेवानिवृत्ति के बाद निरंतरता, स्थिरता और गरिमापूर्ण प्रगति की आवश्यकता को पहचानते हुए, राज्य ने करियर के बाद की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संरचित कल्याण तंत्र को संस्थागत बनाया है।

**3.2.** राज्य पदक विजेताओं और अन्य पात्र एथलीटों को सरकारी नियुक्तियां प्रदान करती है, और चिकित्सा आवश्यकताओं, खेल उपकरण सहायता और अभावग्रस्त परिस्थितियों में उत्कृष्ट एथलीटों की कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करियर के दौरान सुरक्षा और दीर्घकालिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करता है।

**3.3. नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:**

- **3.3.1. मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ी-उपयुक्त रोजगार:** इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी खेल पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण प्रतिबद्धताओं के अनुरूप पद प्रदान करने का प्रावधान।
- **3.3.2. पेंशन योजना:** विशिष्ट एथलीटों को उनके प्रतिस्पर्धी करियर के बाद दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने के लिए संरचित पेंशन तंत्र की शुरुआत।
- **3.3.3. खेल अकादमियां खोलने के लिए प्रोत्साहन:** पूर्व और विशिष्ट एथलीटों को लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे खेल विकास में योगदान दे सकें और उनके लिए टिकाऊ करियर एवं आजीविका के अवसर सुनिश्चित हों।
- **3.3.4. सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण:** सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए संरचित कौशल विकास और प्रमाणन अवसर ताकि वे कोचिंग, खेल प्रशासन और संबद्ध व्यवसायों में जा सकें, जिससे खेल पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर और बाहर उनकी निरंतर सहभागिता और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित हो सके।

**4. खेल विज्ञान (Sports Science)**

**4.1.** खेल विज्ञान प्रदर्शन को बढ़ाने, चोटों को रोकने और खेल चिकित्सा, पोषण, बायोमैकेनिक्स, शरीर विज्ञान और प्रदर्शन विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से दीर्घकालिक एथलीट विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के उच्च-प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वैज्ञानिक सहायता को संस्थागत बनाने के लिए समर्पित 'खेल विज्ञान केंद्र' प्रस्तावित हैं, जो एकीकृत और एथलीट-केंद्रित सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।

**4.2. नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:**

- **4.2.1. बिहार राज्य खेल विज्ञान केंद्र:** विश्व स्तरीय खेल विज्ञान, पुनर्वास और रिकवरी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र' जैसे निकायों सहित प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से 'बिहार राज्य खेल विज्ञान केंद्र' और 'खेल चोट केंद्र' की स्थापना।
- **4.2.2. खेल विज्ञान सुविधाओं तक पहुंच:** प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों और उच्च-प्रदर्शन केंद्रों पर शरीर विज्ञान, बायोमैकेनिक्स, पोषण, मनोविज्ञान और प्रदर्शन विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा समर्थित खेल विज्ञान केंद्रों की स्थापना।
- **4.2.3. मान्यता प्राप्त अस्पतालों और संस्थानों के साथ सहयोग:** प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी ताकि एथलीटों को विशेष खेल चिकित्सा, निदान और पुनर्वास सेवाओं तक प्राथमिकता मिले। ये सहयोग समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता के माध्यम से एथलीट कल्याण को मजबूत करेंगे।
- **4.2.4. खेल विज्ञान सहायता में प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** एथलीट प्रशिक्षण और निगरानी प्रणालियों में इन नवाचारों को एकीकृत करने के लिए वियरेबल्स और प्रदर्शन-ट्रैकिंग टूल सहित नई तकनीकों को

अपनाना और पायलट कार्यक्रम शुरू करना, जिससे वैज्ञानिक निर्णय लेने और डेटा-संचालित सहायता सुनिश्चित हो सके।

- **4.2.5. खेल विज्ञान हैकाथॉन और अनुसंधान अनुदान:** प्रदर्शन विश्लेषण, चोट की रोकथाम और एथलीट रिकवरी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान हैकाथॉन और अनुसंधान अनुदान का आयोजन, जो बिहार के वैज्ञानिक खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा।

**5. खेल कार्मिक एवं क्षमता निर्माण (Sports Personnel & Capacity Building)**

**5.1.** कोच और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र खेल उत्कृष्टता की रीढ़ हैं, जो एथलीट विकास और उच्च-प्रदर्शन परिणामों को मजबूती प्रदान करते हैं। बिहार ने बिहार खेल विश्वविद्यालय के संचालन, प्रमाणन पाठ्यक्रमों और सेमिनारों के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ रणनीतिक सहयोग और एथलीटों एवं सहायक कर्मियों के लिए संरचित क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से इस आधार को संस्थागत बनाया है।

**5.2.** जमीनी स्तर और विशिष्ट मार्गों को मजबूत करने के लिए योग्य कोचों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है, जिसे उन्नत कोच विकास के लिए प्रतिष्ठित अकादमियों के साथ सहयोग द्वारा पूरक बनाया गया है, जिससे राज्य भर में एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार कोचिंग और सहायता ढांचा स्थापित हो सके।

**5.3. एक उच्च-प्रदर्शन, पेशेवर और भविष्य के लिए तैयार खेल पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:**

- **5.3.1. क्षमता विकास ढांचा:** नीति निरंतर पेशेवर विकास, आधुनिक पद्धतियों, शासन मानकों और प्रदर्शन विश्लेषण के माध्यम से कोचों, तकनीकी अधिकारियों, रेफरी, जजों, खेल वैज्ञानिकों और प्रशासकों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक संरचित, परिणाम-उन्मुख ढांचा स्थापित करती है।
- **5.3.2. कोच, तकनीकी अधिकारी और अन्यों का विकास:** कोचों, रेफरियों, जजों और तकनीकी अधिकारियों को NIS, राष्ट्रीय खेल महासंघों और मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से उन्नत प्रमाणन और लाइसेंसिंग के लिए सहायता दी जाएगी। प्रदर्शन संकेतकों से जुड़े आवधिक मूल्यांकन तंत्र जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, साथ ही उच्च प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रोत्साहन और एक्सपोजर के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- **5.3.3. संस्थागत एंकर:** राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खेल शिक्षा, अनुसंधान, प्रमाणन और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
- **5.3.4. समर्पित खेल कैडर:** राज्य के खेल प्रशासन और कोचिंग के भीतर पेशेवर प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता और संस्थागत निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकों, कोचों और खेल वैज्ञानिकों का एक विशेष खेल कैडर स्थापित किया जाएगा।
- **5.3.5. कौशल उन्नयन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** संरचित कौशल उन्नयन कार्यक्रम, विदेशी एक्सपोजर यात्राएं, विशेषज्ञ विनिमय और रणनीतिक सहयोग बिहार के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करेंगे।
- **5.3.6. खेल विज्ञान एकीकरण:** उच्च-प्रदर्शन मार्गों का समर्थन करने के लिए समर्पित खेल वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्टों, मनोवैज्ञानिकों, पोषण विशेषज्ञों और प्रदर्शन विश्लेषकों को प्रशिक्षण प्रणालियों में एकीकृत किया जाएगा।
- **5.3.7. शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स:** प्रमाणन कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की दक्षताओं को उन्नत करेंगे, जिससे स्कूल-स्तरीय प्रशिक्षण को संरचित प्रतिभा पहचान और प्रदर्शन मार्गों के साथ संरेखित किया जा सके।
- **5.3.8. पाठ्यक्रमों की शुरुआत:** विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को खेल कोचिंग और खेल विज्ञान में विशेष शैक्षणिक और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में पेशेवर क्षमता और अनुसंधान-आधारित विकास को मजबूत किया जा सके।
- **5.3.9. रणनीतिक साझेदारी:** राज्य ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रमाणन मार्गों और अनुसंधान सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, महासंघों और उच्च-प्रदर्शन केंद्रों के साथ औपचारिक सहयोग करेगा।

**6. प्रतियोगिताएं और लीग (Competitions & Leagues)**

**6.1.** बिहार ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) प्रतियोगिताओं, राज्य चैंपियनशिप, लोकप्रिय खेलों में पेशेवर लीग और पैरा-चैंपियनशिप को शामिल करते हुए एक मजबूत प्रतियोगिता संरचना स्थापित की है। इस एकीकृत ढांचे ने सभी स्तरों पर एथलीटों के एक्सपोजर, प्रतिस्पर्धी अनुभव और प्रदर्शन विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।

**6.2. प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सभी स्तरों पर संरचित एथलीट प्रगति को बढ़ाने के लिए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:**

- **6.2.1. बहु-स्तरीय प्रतियोगिता और लीग ढांचा:** प्रदर्शन मार्गों और प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर को मजबूत करने के लिए एक बहु-स्तरीय प्रतियोगिता ढांचा स्थापित करना। प्राथमिकता वाले खेलों में राज्य स्तरीय पेशेवर लीग, राज्य खेल संघों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, केंद्र सरकार और निजी भागीदारों के सहयोग से आयोजित की

जाएंगी, जो पेशेवर प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता, प्रसारण एकीकरण और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, जिसमें प्रतिभा पहचान भी अंतर्निहित होगी।

- **6.2.2. टैलेंट हंट:** राज्य की प्रतियोगिता और लीग पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक संरचित टैलेंट हंट (प्रतिभा खोज) तंत्र को शामिल किया जाएगा, जो स्कूल टूर्नामेंट, जिला चैंपियनशिप और पेशेवर लीगों का लाभ उठाकर उभरती प्रतिभाओं की व्यवस्थित पहचान करेगा।

**7. आयोजनों की मेजबानी (Hosting of Events)**

**7.1.** बिहार ने एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024, एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025, सेपक टाकरॉ (Sepaktakraw) वर्ल्ड कप 2025, खेलो इंडिया गेम्स 2025 और एशियन रग्बी U20 सेवन्स 2025 सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। राज्य अब राष्ट्रीय युवा खेल 2028 और राष्ट्रीय खेल 2031 तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है।

**7.2.** बिहार की मेजबानी उत्कृष्टता को प्रधानमंत्री के 'मन की बात' संबोधन में स्वीकार किया गया है। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:

- **7.2.1. मेजबानी के लिए कार्यक्रमों का कैलेंडर:** राज्य पदक-क्षमता वाले विषयों और बुनियादी ढांचे की तैयारी के साथ संरेखित खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक रणनीतिक, परिणाम-संचालित ढांचा अपनाएगा, जिसे एक वार्षिक मेजबानी कैलेंडर का समर्थन प्राप्त होगा जो प्रतिस्पर्धी लाभ और संसाधन दक्षता को अधिकतम करने के लिए ऐसे विषयों को प्राथमिकता देता है।
- **7.2.2. कम लागत वाले मॉडल को प्राथमिकता:** राज्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का अनुकूलन करके, संस्थागत साझेदारी का लाभ उठाकर और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करके एक लागत-प्रभावी मेजबानी मॉडल अपनाएगा।

**8. खेल शासन (Sports Governance)**

**8.1.** बिहार में खेल शासन संरचित, नीति-संचालित और एथलीट-केंद्रित है। 09.01.2024 को गठित खेल विभाग रणनीतिक निगरानी प्रदान करता है और राज्य में खेल विकास के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

**8.2.** साथ ही, राज्य खेल संघ अपने-अपने विषयों के प्रचार, नियमन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं, जो पारदर्शी शासन, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया, एथलीट कल्याण और राष्ट्रीय महासंघ के दिशानिर्देशों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हैं।

**8.3. खेल विकास के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रदर्शन-उन्मुख शासन ढांचा सुनिश्चित करने के लिए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:**

- **8.3.1. संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** खेल विभाग एथलीट पंजीकरण, प्रदर्शन ट्रैकिंग और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए पर्याप्त पेशेवर कर्मचारियों और डिजिटल प्रणालियों के साथ जिला स्तर पर खेल कार्यालयों को सुदृढ़ करेगा।
- **8.3.2. राज्य खेल संघों में शासन सुधार:** सरकार राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप 'बिहार खेल शासन अधिनियम' लागू करेगी, जिसमें लोकतांत्रिक चुनाव, कार्यकाल की सीमा, एथलीट प्रतिनिधित्व, हितों के टकराव (conflict-of-interest) के सुरक्षा उपाय, वित्तीय जवाबदेही और मान्यता एवं वित्त पोषण के लिए अनिवार्य अनुपालन अनिवार्य होगा।
- **8.3.3. वार्षिक प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता कैलेंडर (ACTC) का पुनरुद्धार:** ACTC को प्रदर्शन-लिंक्ड और आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए फिर से तैयार किया जाएगा, जो परिभाषित पात्रता मानदंडों, जवाबदेही मानकों और मापने योग्य परिणामों द्वारा निर्देशित होगा।
- **8.3.4. खेल क्लबों का सुदृढ़ीकरण:** जमीनी स्तर पर जुड़ाव और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा सहायता, उपकरण सहायता, संरचित स्थानीय प्रतियोगिताओं और क्षमता निर्माण के माध्यम से खेल क्लबों को पुनर्जीवित किया जाएगा।

**9. डिजिटलीकरण पर जोर (Emphasis on Digitalization)**

**9.1.** राज्य ने प्रमुख डिजिटल सुधार शुरू किए हैं, जिनमें प्रतिभा पहचान के लिए पोर्टल, पारदर्शी एथलीट लाभों के लिए समर्पित छात्रवृत्ति पोर्टल, खेल बुनियादी ढांचा प्रबंधन के लिए डिजिटल MIS और सुव्यवस्थित एथलीट सेवाओं एवं निगरानी के लिए ई-एकलव्य पोर्टल शामिल हैं।

**9.2. इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए, नीति निम्नलिखित की वकालत करती है:**

- **9.2.1. डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण:** एक 'डिजिटल फर्स्ट' शासन मॉडल अपनाना, जो एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एथलीट पंजीकरण, छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता प्रबंधन, बुनियादी ढांचा बुकिंग और शिकायत निवारण को सक्षम बनाता है, जिसे पारदर्शिता और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए पेपरलेस सिस्टम और रीयल-टाइम डैशबोर्ड का समर्थन प्राप्त होगा।
- **9.2.2. बिहार स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम:** एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी एथलीटों, कोचों, प्रतियोगिताओं और बुनियादी ढांचे पर सत्यापित डेटा बनाए रखेगी, जिससे प्रदर्शन ट्रैकिंग और साक्ष्य-आधारित योजना सक्षम होगी।

- **9.2.3. AI और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना:** AI-आधारित प्रदर्शन विश्लेषण, बायोमेट्रिक सत्यापन, वीडियो विश्लेषण उपकरण और भविष्य कहने वाली प्रतिभा पहचान प्रणाली सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रशिक्षण और शासन ढांचे में एकीकृत किया जाएगा।
- **9.2.4. गोपनीयता और सुरक्षा:** एथलीट की जानकारी की रक्षा करने और सुरक्षित डिजिटल शासन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और विनियमित पहुंच नियंत्रण तैयार किए जाएंगे।

**10. कार्यान्वयन एवं निगरानी (Implementation & Monitoring)**

**10.1.** बिहार खेल नीति 2026 का कार्यान्वयन एक समर्पित कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र के माध्यम से विभिन्न सरकारी और निजी संगठन जैसे कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, राज्य खेल अकादमी, बिहार खेल विश्वविद्यालय, जिला खेल कार्यालयों, राज्य खेल संघों और निजी क्षेत्र इकाईयाँ एवं अन्य हितधारकों के समन्वय में खेल विभाग द्वारा किया जाएगा।

**10.2.** नीति को परिभाषित लक्ष्यों, बजट और जवाबदेही के साथ समयबद्ध कार्य योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा, और निरंतर प्रदर्शन प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ओलंपिक चक्र के अनुरूप इसकी समीक्षा की जाएगी।

**10.3.** एक KPI-आधारित निगरानी ढांचा भागीदारी स्तरों, प्रदर्शन परिणामों, बुनियादी ढांचे के उपयोग, शासन अनुपालन और निधि उपयोग पर नज़र रखेगा, जिसमें जिलों और संघों के लिए परिणाम-लिंक्ड सहायता दी जाएगी।

**10.4.** रीयल-टाइम ट्रैकिंग, पारदर्शिता और ऑडिट निरीक्षण सक्षम करने के लिए सभी योजनाओं को एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड में एकीकृत किया जाएगा। समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा पाठ्यक्रम सुधार और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के साथ निरंतर संरेखण सुनिश्चित करेंगे।

## स्तंभ संख्या ॥ . आर्थिक विकास के लिए खेल

**1. खेल पर्यटन**

**1.1** यह नीति खेल को बिहार में आर्थिक विकास और पर्यटन के लिए एक उत्प्रेरक (Catalyst) के रूप में स्थापित करती है। प्रमुख सुविधाओं की सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के साथ सद्भाव में विकसित किया जाएगाए जो खेल को पर्यटन, आतिथ्य और स्थानीय उद्यम के साथ एकीकृत करने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। भविष्य के खेल परिसरों और स्टेडियमों को क्षेत्रीय आर्थिक लाभों को अधिकतम करने के लिए सांस्कृतिकए धार्मिक और ईको टूरिज्म स्थानों के साथ संरेखित किया जाएगा।

**1.2** नीति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का लाभ उठाकर उन्हें बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प, व्यंजन और स्वदेशी उद्योगों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के मंच के रूप में उपयोग करने का प्रयास करती है। आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने और बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए मेजबानी ढांचे के भीतर इवेंट ब्रांडिंग और सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग को शामिल किया जाएगा।

**1.3** बिहार को एक आकर्षक पर्यटन औट निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय खेल निकायों, पेशेवर लीगों और प्रमुख टीमों के साथ रणनीतिक साझेदारी, जिसमें प्रचार सहयोग और प्रायोजन जुड़ाव शामिल हैं, का प्रयास किया जाएगा। इस एकीकृत और परिणाम.संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से, खेल राज्य में पर्यटन विस्तार, रोजगार सृजन और निरंतर आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली चालक के रूप में कार्य करेगा।

**2. स्टार्टअप और खेल उद्यमिता को महायता**

**2.1** नीति बिहार में एक मजबूत खेल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए एक समर्पित खेल नवाचार और ऊष्मायन केंद्र (Sports Innovation and Incubation Centre) की स्थापना की परिकल्पना करती है। यह केंद्र खेल प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन विश्लेषण, खेल विज्ञान समाधान, उपकरण नवाचार, प्रशंसक.जुड़ाव प्लेटफॉर्म और अन्य अत्याधुनिक मानव-केंद्रित नवाचारों में लगे उभरते उद्यमों का समर्थन करेगा। यह आशाजनक स्टार्टअप्स के लिए संरचित परामर्श (Mentorship) सीड.फंडिंग लिंकेजए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा और बाजार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

**2.2** अनुसंधान.संचालित नवाचार को बढ़ावा देने, उद्योग-अकादमिक तालमेल को मजबूत करने और खेल क्षेत्र के भीतर उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए राज्य भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से इनक्यूबेशन ढांचा विकसित किया जाएगा।

**2.3** यह नीति खेल सामग्री निर्माण में राष्ट्रीय पहलों का लाभ उठाने के लिए उद्योग विभाग के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगी। यह तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्लस्टर-आधारित विकास और एमएसएमई (MSME) की भागीदारी को बढ़ावा देगी, जिससे रोजगार पैदा होगा और राज्य की खेल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

**2.4** नवाचार, विनिर्माण और उद्यमिता को एकीकृत करके, राज्य खेल को एक उच्च-क्षमता वाले विकास क्षेत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है जो पूरे बिहार में रोजगार सृजन, कौशल विकास और औद्योगिक विस्तार में योगदान दे।

**3. राष्ट्रीय खेल हब विजन**

**3.1** नीति का लक्ष्य बिहार को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, एकीकृत खेल शहरों, उच्च-प्रदर्शन केंद्रों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले इवेंट रेडी स्टेडियमों को विकसित करके एक राष्ट्रीय खेल हब के रूप में स्थापित करना

है, जिसका दीर्घकालिक दृष्टिकोण राष्ट्रमंडल खेल 2030 और ओलंपिक खेल 2036 जैसे मेगा-आयोजनों की चुनिंदा विधाओं की मेजबानी करना है (राष्ट्रीय आवंटन के अधीन)

**3.2** राज्य प्राथमिकता वाली उन विधाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए सक्रिय रूप से बोली लगाएगा जहाँ बुनियादी ढांचा और प्रदर्शन की तैयारी मजबूत है। बड़े पैमाने की प्रतियोगिताओं के निर्वाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट, अंपायरिंग/रेफरी (Officiating), खेल विज्ञान और दर्शक जुड़ाव में संस्थागत क्षमता को मजबूत किया जाएगा। राज्य खेल नीतिए शासन, नवाचार और खेलों में उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए खेल सम्मेलनों (Conclaves), सम्मेलनों और सेमिनारों का भी आयोजन करेगा।

**3.3** विश्वसनीयता, दृश्यता और परिचालन उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महासंघों, पेशेवर लीगों और निजी हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी की जाएगी, जो बिहार को एक प्रमुख खेल गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। नीति खेल कूटनीति (Sports Diplomacy) का भी लाभ उठाएगी और वैश्विक पहुंच एवं निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए बिहार के भारतीय प्रवासियों (Diaspora) को शामिल करेगी।

**स्तंभ संख्या ।।। . खेलों के माध्यम से सामाजिक विकास**

**1. शारीरिक साक्षरता और खेलों का व्यापक आधार**

**1.1** यह नीति शारीरिक साक्षरता को एक मौलिक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने और पूरे राज्य में खेल भागीदारी को व्यापक बनाने का प्रयास करती है, जिससे कम उम्र से ही फिटनेस, गतिविधि क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा मिले और साथ ही जमीनी स्तर से विशिष्ट स्तरों तक प्रतिभा को पोषित किया जा सके।

**1.2** खेलों के व्यापक आधार को प्राप्त करने के लिएए यह नीति संरचित खेल और शारीरिक गतिविधि तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके स्कूली स्तर पर प्रत्येक बच्चे के खेलने के अधिकार (Right to Play) को बनाए रखती है। स्कूल और विश्वविद्यालय खेल टीमों को बनाए रखेंगे, वार्षिक खेल कैलेंडर लागू करेंगे और राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

**1.3** यह नीति खेल के मैदानों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में खेल के बुनियादी ढांचे और संबद्ध सुविधाओं को मजबूत करने की वकालत करती है। संस्थानों को मुख्य खेलों के लिए पूर्णकालिक कोच और अन्य विधाओं के लिए अंशकालिक पेशेवर कोच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कौशल विकास और शारीरिक साक्षरता का समर्थन किया जा सके।

**1.4** खेल को एक शैक्षणिक विषय के रूप में एकीकृत किया जाएगाए जिसमें अंक/ ग्रेड समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में योगदान देंगे, जो शैक्षणिक उपलब्धि के साथ-साथ शारीरिक साक्षरता के महत्व को सुदृढ़ करेगा।

**2. भागीदारी की बाधाओं को दूर करना और प्रतिस्पर्धी मार्गों का विस्तार करना**

**2.1** यह नीति संरचित स्कूल और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खेल भागीदारी की बाधाओं को कम करने के लिए एक बिहार-विशिष्ट समावेशी आउटरीच ढांचा स्थापित करती है।

**2.2** सरकारी स्कूलों में खेल कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा, जिसमें एकल-शिक्षक और सीमित-संसाधन वाले स्कूलों के लिए आउटरीच मॉडल शामिल होंगे। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, उपकरण, कोचिंग पहुंच और सामुदायिक लामबंदी को प्राथमिकता दी जाएगी।

**2.3** ' बिहार टैलेंट टीच एंड इक्विटी इनिशिएटिव' के तहत, संरचित स्काउटिंग कैंपों, मोबाइल मूल्यांकन इकाइयों और जिला.स्तरीय अभियानों के माध्यम से प्रतिभा पहचान प्रयासों का विस्तार किया जाएगा, जिसमें पहचाने गए एथलीटों को मुख्यधारा के प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और उच्च-प्रदर्शन मागों में एकीकृत किया जाएगा।

**2.4** विभागों के साथ समन्वय और संस्थागत आउटरीच तंत्र के माध्यम से, इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक-आर्थिक या भौगोलिक नुकसान अवसरों को सीमित न करें, जबकि बिहार के प्रतिस्पर्धी प्रतिभा आधार का विस्तार हो सके।

**3. स्वदेशी खेल और विधाओं को बढ़ावा देना**

**3.1** यह नीति राज्य भर के स्वदेशी खेलों और पारंपरिक विधाओं को पहचानने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इन खेलों की ऐतिहासिक जड़ों और विकास का पता लगाने के लिए अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और औपचारिक मान्यता तंत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा।

**3.2** यह नीति स्वदेशी खेलों की रूपरेखा को ऊपर उठाने और उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मियों और एक संरचित प्रतियोगिता ढांचे के विकास पर जोर देती है। इन पारंपरिक खेलों में निवेश करके, बिहार का लक्ष्य सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, विविधता को बढ़ावा देना और प्रतिभा विकास एवं सामुदायिक भागीदारी के लिए नए रास्ते बनाना है।

**4. फिटनेस और सक्रिय बिहार (Fitness & Active Bihar)**

4.1 यह नीति नियमित मैराथन, साइक्लोथॉन, वॉकाथॉन, योग सत्र और सामुदायिक फिटनेस कार्यक्रमों के माध्यम से सभी आयु समूहों में फिटनेस और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देकर खेल और शारीरिक गतिविधि को एक राज्यव्यापी जन आंदोलन में बदलने का प्रयास करती हैए जिसमें शारीरिक साक्षरताए निवारक स्वास्थ्य और सामाजिक एकजुटता पर जोर दिया जाएगा।

4.2 स्टेडियमों, मिनी-स्टेडियमों और सामुदायिक खेल सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक 'पे एंड प्ले' /कम एंड प्ले' ढांचे को संस्थागत बनाया जाएगा, जिसे डिजिटल बुकिंग सिस्टम, परिभाषित पहुंच घंटे और मानकीकृत उपयोग दिशानिर्देशों का समर्थन प्राप्त होगा।

4.3 फिट इंडिया की तर्ज पर एक समर्पित राज्यव्यापी फिटनेस कार्यक्रम शुरु किया जाएगा ताकि स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में दैनिक शारीरिक गतिविधि और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे पूरे बिहार में आजीवन फिटनेस और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य की संस्कृति विकसित हो सके।

**स्तंभ संख्या IV . खेल और शिक्षा**

**1. खेल और शिक्षा के बीच एकीकरण**

**1.1** खेल और शिक्षा आज की दुनिया में समग्र विकास और जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए तेजी से आपस में जुड़े हुए हैं। बिहार ने एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों, जिला उत्कृष्टता केंद्रों और मशाल कार्यक्रम के माध्यम से इस एकीकरण को मजबूत किया है, जिसे पांच स्तरों पर आयोजित किया जाता हैए जिसमें ब्लॉक स्तर तक के पहले तीन स्तर शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

**1.2** यह एकीकरण स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) की प्रतियोगिताओं में भागीदारी के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ होता है, जो छात्रों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ संतुलन बनाते हुए संरचित एक्सपोजर, कौशल विकास और प्रतिस्पर्धी अनुभव प्रदान करता है।

**1.3** इन पहलों को आगे बढ़ाते हुएए यह खंड बिहार भर में खेल और शिक्षा को और अधिक एकीकृत करने के लिए प्रमुख उपायों की रूपरेखा तैयार करता है:

**1.3.1** एक संरचित ढांचा स्कूल पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करेगा, जो छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। शतरंज और अन्य दिमागी खेलों को शामिल करने से शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ रणनीतिक सोचए एकाग्रता, निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी।

**1.3.2** एक शिक्षक कौशल विकास कार्यक्रम शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले खेल कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस करेगा जो एथलेटिक और संज्ञानात्मक (Cognitive) दोनों कौशलों को प्रेरित और पोषित करेंगे।

**1.3.3** यह नीति खेल के मैदानों, उपकरणों, जनशक्ति और स्कूल-स्तरीय खेल कार्यक्रमों सहित बुनियादी ढांचे और संसाधनों के समाधान के लिए हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी, जिससे बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में एक स्थायी खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

**निष्कर्ष**

बिहार खेल नीति 2026 राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एक दूरदर्शी ढांचा पेश करती है, जिसमें खेल विकास को व्यापक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करके, प्रतिभा का पोषण करके, शासन सुधार लागू करके और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देकर, यह नीति बिहार को खेल उत्कृष्टता का केंद्र और गौरवशाली बिहार 2047 में योगदानकर्ता बनाने का लक्ष्य रखती है।

सरकार की समग्र रणनीति अपनाते हुएए विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल महासंघों /गठनों और स्थानीय निकायों द्वारा समन्वित कार्य सुनिश्चित करेगा कि नीति का क्रियान्वयन सहज रूप से हो। हितधारक, जिनमें सरकारी एजेंसियां, निजी क्षेत्र के साझेदार, खेल संगठन और समुदाय शामिल हैं, संसाधनों, नवाचार, नियमों और सक्रिय सहभागिता के माध्यम से खेलों की वृद्धि को मिलकर आगे बढ़ाएंगे।

इस संयुक्त प्रयास के माध्यम से, बिहार खेल नीति 2026 राज्य के प्रदर्शन को प्रतियोगिताओं में बढ़ाने, समग्र विकास को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और योगदान देने का प्रयास करती है।

## Bihar Khel Niti 2026

### Introduction

Bihar has witnessed a remarkable transformation in the sports sector, emerging as a State committed to building a structured, inclusive, and performance-driven sporting ecosystem. This progress is anchored in the State's broader governance reforms, including massive advancements in education and health, a surge in infrastructure and connectivity, the Bihar Tourism Policy 2024–25, and the transformative Nischay Schemes, which together have strengthened human capital, infrastructure, and institutional capacity. These systemic reforms provide a strong foundation for positioning sports as a key driver of youth empowerment, economic opportunity, and social development, aligned with the larger vision of **Gauravshali Bihar 2047**.

In alignment with the National Sports Policy 2025 (Khelo Bharat Niti 2025), the National Education Policy 2025, the National Sports Governance Act 2025, and India's aspirations to host the Commonwealth Games 2030 and the Olympic Games 2036, the Government of Bihar hereby introduces the *Bihar Khel Niti 2026*. Recognizing Bihar's demographic strength and growing

infrastructure base, the Policy seeks to harness sport as a catalyst for excellence, social inclusion, and economic growth.

The Bihar Khel Niti 2026 lays down a comprehensive and outcome-oriented roadmap that integrates education, grassroots participation, scientific talent identification, high-performance development, sports science, governance reforms, athlete welfare, and growth of the sports economy within a unified framework. Through institutional strengthening, inter-departmental convergence, and adoption of global best practices, Bihar aims to contribute meaningfully to India's medal aspirations while establishing itself as a competitive sporting State and a host of national and international sporting events.

## Vision and Objectives

### Vision

The vision of the *Bihar Khel Niti 2026* is **"Khel Se Gauravshali Bihar – Sports as a Catalyst for Inclusive Growth and Excellence."** The Policy seeks to establish Bihar as a leading sporting State contributing decisively to national excellence and global podium success, while promoting sport as a powerful instrument of social transformation, youth empowerment, and economic advancement. It envisages the creation of an integrated, athlete-centric, and performance-oriented sports ecosystem that enables systematic progression from grassroots participation to elite achievement, aligned with national priorities and global benchmarks to position Bihar as a competitive, inclusive, and future-ready sporting destination.

### Objectives

To realize this vision, the policy focuses on several key objectives, which are given below:

1. Develop an equitable and tiered sports infrastructure framework across Panchayat, Block, District, and State levels to ensure universal access and progressive athlete development.
2. Institutionalize structured talent identification, athlete development, and high-performance systems to strengthen Bihar's competitive pathway and enable representation at major multi-sport events, including the Olympic Games 2032, with a targeted pursuit of podium success by 2036.
3. Promote excellence through scientific training methodologies, continuous coaching development, and integrated sports science support systems.
4. Establish transparent, accountable, and outcome-driven governance mechanisms to ensure efficiency, integrity, and measurable performance outcomes.
5. Encourage mass participation and physical literacy as foundational pillars for long-term sporting excellence and a healthy society.
6. Leverage sport as a catalyst for economic growth, entrepreneurship, employment generation, and tourism development.
7. Ensure inclusive access and equitable opportunity across gender, geography, ability, and socio-economic backgrounds to broaden the State's talent base and sporting ecosystem.

## Key Pillars of the Policy

The Bihar Khel Niti – 2026 is founded on four strategic pillars designed to transform the state's sports ecosystem.

1. **Excellence on the National & Global Stage**: Focused on nurturing talent, strengthening infrastructure, and enhancing competitiveness, this pillar aims to position Bihar athletes as leaders in national and international arenas.

2. **Sports for Economic Growth**: Leveraging sports as a catalyst for economic development, this pillar promotes sports-driven industries, including tourism, manufacturing, and sports technology, contributing to employment and investment opportunities.

3. **Sports for Social Wellbeing**: This pillar emphasizes inclusivity, health, education, and societal cohesion through sports, ensuring access and opportunities for all sections of society, fostering community engagement and holistic development.
4. **Sports and Education Integration**: Aligning with Education, this pillar integrates sports with education to develop life skills, leadership, and academic-athletic excellence among students and youth.

Together, these four pillars provide a comprehensive framework to make Bihar a hub of sports excellence, community participation, and socio-economic growth.

**Pillar No. I – Excellence at the National and Global Stage**

**1. Infrastructure**

1.1. Bihar has built a multi-tiered sports infrastructure framework spanning Panchayat-level playgrounds, Block-level Mini Stadiums, District Khel Bhawan-cum-Gymnasiums, and Commissionerate-level Sports Complexes, culminating in premier hubs like Patliputra Sports Complex, Patna, and State Sports Academy, Rajgir. Fourteen additional major Sports Complexes are being developed across the State to strengthen regional capacity.

1.2. Specialized infrastructure is being prioritized for high-medal potential including a state-of-the-art Shooting Range, Water Sports Academy, Velodrome, and sport-specific Centres of Excellence.

1.3. Long-term plans include redevelopment of Patliputra Sports Complex and development of a world-class Sports City at Dumri, Patna, integrating stadiums, high-performance academies, and allied facilities within a sustainable and commercially viable framework.

1.4. Sports infrastructure is further enhanced through assets developed by other government agencies, including Urja Stadium (Dept. of Energy), Bihar Special Armed Police Sports Facilities, and Urban Local Body complexes.

1.5. Sports Infrastructure development in Bihar has followed a convergent model with the Departments of Rural Development, Education, and Khelo India, reflecting integrated planning, optimal resource use, and coordinated governance. This collaborative and convergent model is emerging as a best practice, reflecting integrated planning, optimal resource utilization, and coordinated governance. The current Sports Infrastructure, Operational Model and Governance Structure by Department of Sport is as follows:

| Level | Infrastructure | Operational Model |
|---|---|---|
| **Panchayat** | Community Playgrounds | Open Community Access, Grassroots Sports engagement, Organization of Local Tournaments, Physical Literacy programs |
| **Block** | Mini Stadiums | Structured Training Programs, Block-level Competitions, Provision for Coaching |
| **District** | Khel Bhawan-cum-Gymnasiums & District Sports | District Centres of Excellence, District-Level Championships, Coaching Camps, and structured Pay-and-Play facilities. |

| | | |
|---|---|---|
| | Complexes | |
| **Regional Level** | 14 Major Sports Complexes | State/District Centres of Excellence, National/State-Level Championships, Advanced Coaching Camps, and structured Pay-and-Play facilities. |
| **Commissionerate** | Sports Complexes | State/District Centres of Excellence, National/State-Level Championships, Advanced Coaching Camps, and structured Pay-and-Play facilities. |
| **State / Regional Level** | High-Performance Centres, Major Sports Complexes & State Sports Academy | Elite athlete training, national and international competitions, centralized academies, and sports science integration |

1.6. In order to ensure continued development of Sports Infrastructure in a purpose-driven and need-based manner, and enable their maximum utilizations, the policy advocates for the following:

1.6.1. **Development of Sports Infrastructure in convergence with other Departments/Schemes** – Development of Sports infrastructure in coordination with relevant state departments and existing central/state schemes to optimize resources, ensure multi-sectoral support, and maximize impact across Bihar.

1.6.2. **Optimal, Inclusive and Sustainable Infrastructure Utilization** – Ensuring maximum utilization of sports infrastructure through structured "Come and Play"/ "Pay and Play" models, Public Private Partnerships, ensuring financial sustainability, universal accessibility, proper maintenance, and long-term public value under the "Sports for All" principle.

1.6.3. **Diversified Funding & Resource Mobilization** – Leveraging alternative funding avenues, including funds under Private Sector investment, Corporate Social Responsibility, and convergence with Central Government schemes, to strengthen infrastructure development and long-term sustainability. In addition,

1.6.4. **Digital Infrastructure Mapping & Data-Driven Planning** – Creation of a comprehensive, geo-tagged digital repository of all sports facilities across the State to enable improved utilization, transparency, monitoring, and evidence-based policy planning.

1.6.5. **Focus on Niche, Need-Based & Sustainable Infrastructure** – Prioritizing development of niche, high-impact, and demand-driven infrastructure with emphasis on medal potential, inclusivity and environmental sustainability. In addition, emphasis shall be on providing existing and new sports infrastructure with necessary allied facilities, including residential accommodations, washrooms, changing rooms, gyms, and other support amenities along with their upkeep and maintenance.

1.6.6. **Dedicated Infrastructure Division/Section –** Establishment of a Specialized Division by the Department of Sport for Strategic Planning,

Maintenance Oversight, Performance Monitoring, and Innovative Sports Infrastructure Practices.

1.6.7. **Model Designs for Sports Infrastructure** – Model designs for sports infrastructure shall be developed and published which shall act as reference for planning, construction, and upgrading of facilities across the state.

1.6.8. **Sports-First Policy** – Sports infrastructure shall be dedicated exclusively to sports and related activities. Use for non-sport purposes may be allowed only in exceptional cases, with strict precautions to ensure safety and preservation of facilities.

**2. Talent Identification**

2.1. Bihar has established a scientifically driven, technology-enabled talent identification ecosystem that leverages standardized assessment protocols, structured test batteries, and continuous performance monitoring.

**2.2.** Under this system the largest talent scouting initiative in India, conducts systematic assessments at School, Cluster Resource Centre (CRC), block, district, and state levels to identify high-potential athletes across multiple disciplines. Such selected athletes are then offered financial assistance and admission into training centres for their development.

2.3. A comprehensive digital athlete repository has also been developed to capture performance data and test results to enable evidence-based selection and strategic planning. Together, these initiatives form a robust, data-driven, and merit-oriented framework for identifying and nurturing sporting excellence in Bihar.

2.4. In addition, selection trials for training institutions are being conducted through scientific assessment protocols, incorporating standardized performance tests and mandatory age verification to ensure transparency and merit-based selection.

2.5. In order to develop a structured talent identification system and adopt the philosophy of "Catch them Young", the Policy advocates for the following:

2.5.1. **Scientific Talent Identification Framework** – Strengthening of the existing technology-driven, scientific talent identification system which will constitute of standardized tests, periodic evaluations, age-verification and continuous monitoring to ensure merit-based athlete selection and progression. An annual scientific weed-out policy shall be implemented to review performance and retain only high-potential athletes.

**2.5.2. Expansion of Grassroot Initiative –** Institutionalizing of Grassroot level talent identification as an annual flagship program and expanding its coverage to additional sporting disciplines.

**2.5.3. Physical Education Teachers as Talent Scouts –** Strengthening of the scouting network by training Physical Education Teachers and deploying them for talent identification.

**2.5.4. Integrated Digital Athlete Repository –** Creation of a centralized digital repository capturing athlete profiles, scientific test results, competition performance, and long-term development indicators. This data-driven system will support evidence-based selection, training customization, performance analytics, and strategic planning.

2.5.5. **Talent Identification & Development Committee (TIDC) –** Formation of Sports Specific and dedicated Talent Identification and Development Committee (TIDC), comprising subject-matter experts and eminent coaches

and who will assess athletes statewide, monitor progress, and strengthen talent development initiatives.

2.5.6. **Collaboration with National Federations/Academies of Excellence/Renowned Sportspersons** – Collaboration with National Federations, Academies of Excellence and Renowned Sportspersons will be pursued to benchmark and strengthen talent identification in alignment with State and National standards.

**3. Training**

3.1. Bihar has established a comprehensive and structured training ecosystem that supports athletes at every stage of their development, from grassroots participation to elite high-performance sport. The State follows a clearly defined hierarchical pathway beginning with community and district-level programs, progressing through Eklavya Residential Sports Training Centres (in collaboration with Department of Education) and District Centres of Excellence, and culminating in advanced training environments at the State Centres of Excellence and High-Performance Centres at Rajgir, Patliputra and other such infrastructure This structured pyramid ensures smooth athlete progression, long-term development, scientific support, and sustained performance enhancement.

3.2. The state has also entered into agreements with Academies of Excellence, Academies run by renowned sportspersons and with SAI to provide Bihar's athletes access to world-class training facilities, expert coaching, and high-performance support systems.

3.3. In order to further strengthen the training ecosystem in Bihar, the Policy advocates the following:

3.3.1. **Drawing up of Long-Term Athlete Development Plan (LTAD)** – Preparation of sport-specific LTAD plans to ensure structured progression from grassroots to elite levels, integrating age-appropriate training, scientific inputs, and defined performance milestones.

3.3.2. **Prioritization of Disciplines** – Identification and prioritization of sporting disciplines based on medal potential, talent pool, and available infrastructure to enable focused investment and optimized resource allocation.

3.3.3. **Strengthening up of Training Centres & Formulation of Norms** – Establishment of a structured network comprising Eklavya Sports Schools across districts, District Centres of Excellence, State Centres of Excellence, and High-Performance Centres at the State Sports Academy, Rajgir, Patliputra Sports Complex and other such infrastructure supported by clearly defined operational and performance standards.

3.3.4. **Collaboration with National Sports Federations/Academies** – Building of formal partnerships and signing MoUs with National Sports Federation/Academies of Excellence/Academies operated by renowned Sportpersons to ensure that high-potential and high-performing athletes receive advanced, world-class training in these academies. In addition, the Policy calls for forging strategic collaborations with National Sports Federation/Academies of Excellence operated by renowned Sportpersons to bring in technical expertise for establishing and operating sports academies across the State, ensuring that training systems meet professional and nationally benchmarked standards.

3.3.5. **Accreditation of Academies** – Introduction of an accreditation framework for schools, colleges, and sports academies, prescribing clear norms and eligibility criteria. Accredited institutions will qualify for defined State support, ensuring quality assurance and standardized development pathways.

3.3.6. **Focus Safety, Ethics and Professionalism** – Establishing integrity, athlete safety, and professionalism as core pillars of Bihar's sports ecosystem, with zero tolerance for doping, age fraud, harassment, discrimination, and corruption. Strict compliance mechanisms aligned with national anti-doping regulations and legal provisions shall ensure fair play and clean sport.

3.3.7. **Use of Digital Platforms and Technologies** – Integration of digital tools for performance tracking, training load management, video analysis, and data-driven coaching to enhance efficiency, transparency, and scientific outcomes across all training levels.

3.3.8. **Inclusivity and Excellence** – Prioritization of women's participation and para-sports excellence through targeted interventions and implementation of the Female Welfare Policy. Emphasis is placed on accessible infrastructure, inclusive policies, and equitable opportunities to ensure that excellence is achieved without exclusion.

**4. Athlete-Centric Support**

4.1. The State of Bihar has established a comprehensive athlete-first 360-degree support system that provides structured assistance at every stage of the sporting pathway—from talent identification to high-performance preparation. This ecosystem addresses developmental, competitive, financial, and welfare needs, enabling athletes to achieve sustained excellence at national and international levels.

4.2. Under the State Sports Policy, athletes will receive annual financial assistance based on performance benchmarks and medal potential. Excellence is further incentivized through cash awards to high performers. The policy ensures support for medical treatment and injury rehabilitation, while a defined Foreign exposure facilitates participation in international training camps and competitions to enhance global benchmarking and preparedness.

4.3. In order to consolidate and strengthen the Athlete-Centric Support framework, the Policy advocates for the following:

**4.3.1. Strengthening of 360 Degree Support to Athletes –** Deepening of Bihar's athlete-centric support by including insurance coverage, providing structured out-of-pocket training allowances, and other athletic-centric safeguards. A strategic focus will be placed on bringing the maximum number of high-potential athletes into the structured excellence pathway to ensure sustained performance and podium readiness.

**4.3.2. Focus on Education & Life-Skill Programs** – Ensuring structured academic support, including flexible curriculum, access to tutors at training centres and others, to enable seamless schooling alongside intensive training. Provision for dedicated life-skill programmes to further equip athletes with essential competencies to succeed both on and off the field.

4.3.3. **Safeguarding & Athlete Protection Policy** – A robust safeguarding system with clear reporting channels, mandatory POSH compliance, and an independent whistleblower mechanism shall be introduced to ensure time-bound redressal and zero tolerance for abuse or misconduct.

4.3.4. **Bihar Olympic Podium Mission –** Introduction of a State-level scheme on the lines of the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) implemented by the Sports Authority of India, to provide enhanced financial assistance and greater flexibility for high-potential and high-performing athletes to train, compete, and excel.

4.3.5. **State Sports Development Fund (SSDF)** – Establishment of SSDF on lines of National Sports Development Fund to mobilize resources from government, private sector, NGOs, and NRIs for promotion of sports in Bihar with adequate incentives.

**5. Athlete Welfare**

5.1. The importance of safeguarding athletes is not only restricted during their competitive careers but also as they transition beyond active sport. Recognizing the need for continuity, stability, and dignified progression after retirement from competitive arenas, the State has institutionalized structured welfare mechanisms to ensure post-career security and long-term stability.

5.2. The State has providing government appointments to medal winners and other eligible athletes and support medical needs, sports equipment assistance, and welfare needs for outstanding athletes in indigent conditions, ensuring both in-career protection and long-term security.

5.3. The policy advocates for the following:

5.3.1. **Sportsperson-Suitable Employment**– Provision for providing beneficiaries in-alignment with their sporting background and training commitments.

5.3.2. **Pension Scheme** – Introduction of structured pension mechanism to provide long-term financial security and dignity to distinguished athletes beyond their competitive careers.

5.3.3. **Incentives to Open Sports Academies** – Encouraging former and distinguished athletes to establish sports academies through targeted incentives, enabling them to contribute to Sports development while ensuring sustainable post-career engagement and livelihood opportunities.

5.3.4. **Training for Retired Sportpersons** – Structured skill development and certification opportunities for retired sportspersons to enable their transition into coaching, sports administration, and allied professions, ensuring continued engagement and sustainable livelihoods within and outside the sports ecosystem.

**6. Sports science**

6.1. Sports Science plays a critical role in enhancing performance, preventing injuries, and ensuring long-term athlete development through evidence-based interventions in areas such as sports medicine, nutrition, biomechanics, physiology, and performance analytics. To institutionalize scientific support within the State's high-performance ecosystem, dedicated Sports Science Centres, providing integrated and athlete-centric support services.

6.2. The policy advocates for the following:

6.2.1. **Bihar State Sports Science Centre** – Setting up of Bihar State Sports Science Centre and Sports Injury Centre in collaboration with renowned national institutions, including bodies such as National Centre for Sports Science and Research, to ensure world-class Sports Science, rehabilitation and recovery services

6.2.2. **Access to Sports Science Facilities** – Establishing of Sports Science Centres at key training hubs and High-Performance Centres, supported by trained professionals in areas such as physiology, biomechanics, nutrition, psychology, and performance analysis.

6.2.3. **Collaboration with Recognized Hospitals and Institutions** – Partnering with recognized hospitals and reputed institutions to ensure athletes receive priority access to specialized sports medicine, diagnostics, and rehabilitation services. These collaborations will strengthen athlete welfare through timely and quality healthcare support.

6.2.4. **Integration of Technology in Sports Science Support** – Adoption of new technologies, including wearables and performance-tracking tools, and pilot programs to integrate these innovations into athlete training and monitoring systems, ensuring scientific decision-making and data-driven support for athlete development.

6.2.5. **Sports Science Hackathon and Research Grants** – Organization of Sports Science Hackathons and Research Grants to promote innovation in performance analytics, injury prevention, and athlete recovery, strengthening Bihar's scientific sports ecosystem.

**7. Sports Personnel & Capacity Building**

7.1. Coaches and the supporting ecosystem form the backbone of sporting excellence, anchoring athlete development and high-performance outcomes. Bihar has institutionalized this foundation through the operationalization of Bihar Sports University, strategic collaborations with National Sports Federations for certification courses and seminars, and structured capacity-building initiatives for athletes and support personnel.

7.2. Large-scale recruitment of qualified coaches has been undertaken to strengthen grassroots and elite pathways, complemented by collaborations with reputed academies for advanced coach development, establishing a robust, future-ready coaching and support framework across the State.

7.3. In order to institutionalize a high-performance, professional, and future-ready sports ecosystem, the Policy advocates for the following:

7.3.1. **Capacity Development Framework** – The Policy establishes a structured, outcome-oriented framework to strengthen the capacities of coaches, technical officials, referees, judges, sports scientists, and administrators through continuous professional development, modern methodologies, governance standards, and performance analytics.

7.3.2. **Coach, Technical Officials and others Development** – Coaches, referees, judges, and technical officials shall be supported for advanced certification and licensing through premier institutions such as NIS, National Sports Federations, and accredited international bodies. Periodic evaluation mechanisms linked to performance indicators shall ensure accountability, with incentives and exposure opportunities for high performers.

7.3.3. **Institutional Anchors** –Such University and colleges shall function as centres of excellence for sports education, research, certification, and professional training.

7.3.4. **Dedicated Sports Cadre** – A specialized Sports Cadre of Administrators, Coaches and Sports Scientists shall be established to ensure professional

management, technical expertise, and institutional continuity within the State's sports administration and coaching.

7.3.5. **Skill Upgradation & International Collaboration** – Structured upskilling programs, foreign exposure visits, expert exchanges, and strategic collaborations shall align Bihar's sports ecosystem with global best practices.

7.3.6. **Sports Science Integration** – Dedicated sports scientists, physiotherapists, psychologists, nutritionists, and performance analysts shall be integrated into training systems to support high-performance pathways.

7.3.7. **Bridge Courses for Physical Education Teachers** – Certification programs shall upgrade competencies of Physical Education teachers, aligning school-level training with structured talent identification and performance pathways.

7.3.8. **Introduction of Courses** – Universities, Medical Colleges, and other institutions of eminence shall be encouraged to introduce specialized academic and certification programmes in Sports Coaching and Sports Science to strengthen professional capacity and research-led development in the State's sports ecosystem.

7.3.9. **Strategic Partnerships** – The State shall formalize collaborations with national and international institutions, federations, and high-performance centres to institutionalize knowledge exchange, certification pathways, and research collaboration.

7.3.10. Strategic Partnership: The State shall formalize collaborations with national and international institutions, federations and high-performance centers to institutionalize knowledge exchange, certification pathways and collaboration.

8. **Competitions & Leagues**

8.1. Bihar has established a robust competition structure encompassing School Games Federation of India (SGFI) competitions, State Championships, professional leagues in popular sports, and Para-Championships. This integrated framework has significantly enhanced athlete exposure, competitive experience, and performance development across levels.

8.2. In order to strengthen the competitive ecosystem and enhance structured athlete progression across all levels, the Policy advocates for the following:

8.2.1. **Multi-Tier Competition and League Framework** – Establish a multi-tier competition framework to strengthen performance pathways and competitive exposure. State-level professional leagues in priority sports. Leagues shall be organized in collaboration with State Sports Association, National Sports Federation, Union Government, and Private Partners, ensuring professional management, financial sustainability, broadcast integration, and inclusive participation, with embedded talent identification.

8.2.2. **Talent Hunt** – A structured Talent Hunt mechanism shall be embedded within the State's competition and league ecosystem, leveraging school tournaments, district championships, and professional leagues to systematically identify emerging talent.

**9. Hosting of Events**

9.1. Bihar has successfully hosted major international and national events, including the Asian Women's Hockey Championship 2024, Asian Men's Hockey Championship 2025, Sepaktakraw World Cup 2025, Khelo India Games 2025, and Asian Rugby

U20 Sevens 2025. The State is now preparing to host the National Youth Games 2028 and the National Games 2031 and other International Sports Events.

9.2. Bihar's hosting excellence has been acknowledged in the Prime Minister's Mann ki Baat address. Building on this momentum, the Policy advocates for the following:

**9.2.1. Calendar of Events for Hosting** – The State shall adopt a strategic, outcome-driven framework for hosting sporting events aligned with medal-potential disciplines and infrastructure readiness, supported by an annual hosting calendar that prioritizes such disciplines to maximize competitive advantage and resource efficiency.

**9.2.2. Prioritizing Low-Cost Model** – The State shall adopt a cost-efficient hosting model by optimizing existing infrastructure, leveraging institutional partnerships, and ensuring prudent financial management.

**10. Sports Governance**

10.1. Sports governance in Bihar is structured, policy-driven, and athlete-centric. The Department of Sports, created on 09.01.2024, provides strategic oversight shall serve as the principal implementing agency supported by sport officers at for sport developmrnt in the State, supported by Sports Officers at Commissionerate and District Level.

10.2. Also, State Sports Associations are responsible for the promotion, regulation, and development of their respective disciplines, ensuring transparent governance, fair selection processes, athlete welfare, and alignment with National Federation guidelines.

10.3. In order to ensure a transparent, accountable, and performance-oriented governance framework for sports development, the policy advocates the following:

**10.3.1. Institutional Strengthening** – The Department of Sports shall reinforce Sports Offices at District levels with adequate professional staff and digital systems for athlete registration, performance tracking, and transparent service delivery.

**10.3.2. Governance Reforms in State Sports Associations** – The Government shall enact the Bihar Sports Governance Act, aligned with the National framework, mandating democratic elections, tenure limits, athlete representation, conflict-of-interest safeguards, financial accountability, and mandatory compliance for recognition and funding.

**10.3.3. Revamp of Annual Training & Competition Calendar (ACTC)** – The ACTC shall be redesigned to ensure performance-linked and need-based financial support, guided by defined eligibility norms, accountability standards, and measurable outcomes.

**10.3.4. Strengthening of Sports Clubs –**Sports Clubs shall be revitalized through infrastructure support, equipment assistance, structured local competitions, and capacity building to promote grassroots engagement and community ownership.

**11. Emphasis on Digitalization**

11.1. The State has initiated key digital reforms for talent identification, a dedicated Scholarship Portal for transparent athlete benefits, a Digital MIS for sports infrastructure management, and the e-Eklavya Portal for streamlined athlete services and monitoring.

11.2. Building on these initiatives, the Policy advocates for the following:

11.2.1. **Digital First Approach** – Adoption of a Digital First governance model, enabling athlete registration, scholarships, competition management, infrastructure booking, and grievance redressal through integrated online platforms, supported by paperless systems and real-time dashboards for transparency and data-driven decision-making.

11.2.2. **Bihar Sports Repository System** – A centralized digital repository shall maintain verified data on athletes, coaches, competitions, and infrastructure, enabling performance tracking and evidence-based planning.

11.2.3. **Leveraging AI & Advanced Technologies** – Advanced technologies including AI-based performance analytics, biometric verification, video analysis tools, and predictive talent identification systems shall be integrated into training and governance frameworks.

11.2.4. **Privacy and Security** – Strong data protection, cybersecurity protocols, and regulated access controls shall be formulated to safeguard athlete information and ensure secure digital governance.

**12. Implementation & Monitoring**

12.1. The implementation of the Bihar Sports Policy 2026 shall be led by the Department of Sports in coordination with different Government and private bodies such as Bihar State Sports Authority, State Sports Academy, Bihar Sports University, Commissionerate/District Sports Offices, State Sports Associations, and Private Sector entities and other stakeholders through a dedicated implementation and monitoring mechanism.

12.2. The Policy shall be implemented through time-bound action plans with defined targets, budgets, and accountability, and reviewed in alignment with the Olympic cycle to ensure sustained performance progression.

12.3. A KPI-based monitoring framework shall track participation levels, performance outcomes, infrastructure utilization, governance compliance, and fund utilization, with outcome-linked support for districts and associations.

12.4. All schemes shall be integrated into a centralized digital dashboard to enable real-time tracking, transparency, and audit oversight. Periodic independent evaluations and mid-term reviews shall ensure course correction and sustained alignment with national and international sporting standards.

## Pillar No. II – Sports for Economic Development

**1. Sports Tourism**

1.1. The Policy positions sport as a catalyst for economic development and tourism in Bihar. Major facilities will be developed in harmony with cultural and heritage sites, serving as a model to integrate sports with tourism, hospitality, and local enterprise. Future Sports Complex and Stadiums will align with cultural, religious, and eco-tourism locations to maximize regional economic benefits.

1.2. The Policy also seeks to leverage national and international sporting events as platforms to showcase Bihar's rich cultural heritage, traditional crafts, cuisine, and indigenous industries to global audiences. Event branding and cultural programming shall be embedded within hosting frameworks to enhance visitor experience and strengthen Bihar's cultural identity.

1.3. Strategic partnerships with national sports bodies, professional leagues, and major teams, including promotional collaborations and sponsorship engagements shall be pursued to reinforce Bihar's positioning as an attractive tourism and investment

destination. Through this integrated and outcome-driven approach, sport shall function as a powerful driver of tourism expansion, employment generation, and sustained economic growth in the State.

**2. Support to Start-ups and Sports Entrepreneurship**

2.1. The Policy envisages the establishment of a dedicated Sports Innovation and Incubation Centre to nurture a robust sports start-up ecosystem in Bihar. This Centre shall support emerging enterprises engaged in sports technology, performance analytics, sports science solutions, equipment innovation, fan-engagement platforms, and other cutting-edge human-centric innovations. It shall provide structured mentorship, seed-funding linkages, testing facilities, and facilitate market access for promising start-ups.

2.2. The incubation framework shall be developed in collaboration with premier educational institutions across the State to promote research-driven innovation, strengthen industry–academia convergence, and catalyse entrepreneurship within the sports sector.

2.3. The Policy shall ensure convergence with the Industries Department to leverage national initiatives in sports goods manufacturing. It shall promote cluster-based development and MSME participation to scale high-quality sports equipment production in areas of comparative advantage, thereby generating employment and strengthening the State's sports economy.

2.4. By integrating innovation, manufacturing, and entrepreneurship, the State seeks to position sports as a high-potential growth sector contributing to employment generation, skill development, and industrial expansion across Bihar.

3. **National Sports Hub Vision**

3.1. 3.1. The Policy aims to position Bihar as a National Sports Hub by developing world-class infrastructure, integrated sports cities, high-performance centres, and event-ready stadiums meeting international standards, with a long-term vision to host select disciplines of mega-events such as the Commonwealth Games 2030 and the Olympic Games 2036, subject to national allocation.

3.2. The State will proactively bid for national and international championships in priority disciplines where infrastructure and performance readiness are strong. Institutional capacity in event management, officiating, sports science, and spectator engagement will be strengthened to ensure seamless conduct of large-scale competitions. The State will also organize sports conclaves, conferences, and seminars to deliberate on policy, governance, innovation, and emerging issues in sports.

3.3. Strategic partnerships with national and international federations, professional leagues, and private stakeholders shall be pursued to enhance credibility, visibility, and operational excellence, positioning Bihar as a premier sporting destination. The Policy shall also leverage sports diplomacy and engage the Indian diaspora from Bihar to expand global outreach and investment opportunities.

## Pillar No. III – Social Development through Sports

**1. Physical Literacy and Broadbasing of Sports**

1.1. The Policy seeks to promote physical literacy as a foundational life skill and broaden sports participation across the State, fostering a culture of fitness, movement competence, and healthy competition from an early age while nurturing talent from grassroots to elite levels.

1.2. To achieve broadbasing of sports, the Policy upholds every child's Right to Play at the school level by ensuring universal access to structured sports and physical activity. Schools and universities shall maintain sports teams, implement annual sports calendars, and participate in State and National competitions.

1.3. The Policy advocates strengthening sports infrastructure and allied facilities across educational institutions to ensure equitable access to playfields. Institutions shall be encouraged to provide full-time coaches for core sports and part-time professional coaches for other disciplines to support skill development and physical literacy.

1.4. Sports shall be integrated as an academic subject, with marks/grades contributing to overall academic performance, reinforcing the importance of physical literacy alongside scholastic achievement.

**2. Removing Barriers to Participation & Expanding Competitive Pathways**

2.1. The Policy establishes a Bihar-specific inclusive outreach framework to reduce barriers to sports participation in aspirational districts, tribal belts, and educationally underserved regions through structured school and community engagement.

2.2. Sports programs in government schools shall be strengthened, including outreach models for single-teacher and limited-resource schools. Priority shall be given to basic infrastructure, equipment, coaching access, and community mobilization to ensure broad-based participation.

2.3. Under the Bihar Talent Reach & Equity Initiative, talent identification efforts shall be expanded through structured scouting camps, mobile assessment units, and district-level drives, with identified athletes integrated into mainstream training, scholarship, and high-performance pathways.

2.4. Through convergence with other Departments and institutionalized outreach mechanisms, the Policy aims to ensure that socio-economic or geographic disadvantage does not restrict opportunity, while expanding Bihar's competitive talent base.

**3. Promotion of Indigenous Sports and Games**

3.1. The Policy seeks to recognize, preserve, and promote indigenous sports and traditional games from across the State. Research, documentation, and formal recognition mechanisms shall be encouraged to trace the historical roots and evolution of these games.

3.2. The Policy emphasizes the development of dedicated infrastructure, trained personnel, and a structured competition framework to elevate the profile of indigenous sports and ensure their sustainability. By investing in these traditional games, Bihar aims to celebrate cultural heritage, promote diversity, and create new avenues for talent development and community participation.

**4. Fitness & Active Bihar**

**4.1.** The Policy seeks to transform sport and physical activity into a statewide people's movement by promoting fitness and active lifestyles across all age groups through regular Marathons, Cyclothons, Walkathons, Yoga sessions, and Community Fitness events, emphasizing physical literacy, preventive health, and social cohesion.

**4.2.** A 'Pay and Play / Come and Play' framework shall be institutionalized to ensure public access to stadiums, mini-stadiums, and community sports facilities,

supported by digital booking systems, defined access hours, and standardized usage guidelines.

**4.3.** A dedicated State-wide fitness program, on the lines of FIT India, shall be launched to promote daily physical activity and mass participation across schools, workplaces, and communities, fostering a culture of lifelong fitness and improved public health across Bihar.

## Pillar No. IV – Sports and Education

### 1. Integration between Sports and Education

1.1. Sports and education are increasingly interconnected, fostering holistic development and life skills in today's world. Bihar has strengthened this integration through various residential training centres, District Centres of Excellence, and other sport program.

1.2. This integration is further reinforced through participation in School Games Federation of India (SGFI) competitions, providing students structured exposure, skill development, and competitive experience while balancing academic learning.

1.3. Building on these initiatives, this section outlines key measures to further integrate sports and education across Bihar:

1.3.1. A structured framework will integrate sports and physical education into the school curriculum, promoting holistic student development. Inclusion of sports like chess, and other mind sports will foster strategic thinking, concentration, decision-making, and problem-solving alongside physical fitness.

1.3.2. A teacher skill development program will equip educators with training and resources to deliver high-quality sports programs that inspire and nurture both athletic and cognitive skills.

1.3.3. The Policy will ensure stakeholder coordination to address infrastructure and resources, including playgrounds, equipment, manpower, and school-level sports programs, creating a sustainable sports ecosystem across Bihar's educational institutions.

## Conclusion

The **Bihar Khel Niti 2026** lays out a visionary framework to transform the state's sports ecosystem, aligning athletic development with broader social and economic goals. By strengthening infrastructure, nurturing talent, implementing governance reforms, and promoting mass participation, the Policy aims to position Bihar as a hub of sporting excellence and a contributor to **Gauravshali Bihar 2047**.

Adopting a **whole-of-government approach**, coordinated action by departments, educational institutions, sports federations/associations, and local bodies will ensure seamless implementation. Stakeholders, including government agencies, private sector partners, sports organizations, and the community will collectively drive the growth of sports through resources, innovation, regulation, and active engagement.

Through this unified effort, **Bihar Khel Niti 2026** seeks to elevate the state's performance in competitions, foster holistic development, strengthen community participation, and contribute to socio-economic growth, establishing Bihar as a model for integrated sports development and a proud contributor to **Gauravshali Bihar 2047**.

———————

## कृषि विभाग

———————

### अधिसूचना

**27 जुलाई 2026**

सं० 3 / कृ0वि0(विविध)कार्य0 आवं0–23 / 2010 (पार्ट) 5038 / कृ०––श्री अखिलेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0, अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त **निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना** एवं **प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद् (वि0), बिहार, पटना** का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश से,**
**अनुज कुमार,** सरकार के संयुक्त सचिव।

———————

## स्वास्थ्य विभाग

———————

### अधिसूचनाएं

**20 जुलाई 2026**

**सं० सं० 15 / औ०–03–01 / 2025 –711(15A) / स्वा०**स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–588(15ए), दिनांक–30.06.2026 द्वारा राज्यांतर्गत पदस्थापित / कार्यरत औषधि निरीक्षकों का स्थानांतरण / पदस्थापन किया गया है, जिसमें पूर्णियाँ–03 में औषधि निरीक्षक का पद रिक्त रह गया है।

उक्त के आलोक में औषधि एवं अंगराग अधिनियम–1940 की धारा–21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ कार्यहित में **श्री संजीव कुमार, औषधि निरीक्षक, पूर्णियाँ–05** को औषधि निरीक्षक, पूर्णियाँ–03 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी।**

———————

**24 जुलाई 2026**

**सं0 12 / प0क0–09–05 / 2016–1238(12)**––गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान अधिनियम–1994 एवं नियम–2014 एवं नियम–2020 के आलोक में ''उदरीय श्रोणी अल्ट्रासोनोग्राफी (Abdomino-Pelvic Ultra Sonography) के मूलभूत एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों के लिए स्तर एक (Level-one)'' अल्ट्रासोनोग्राफी (Abdomino-Pelvic Ultra Sonography) का छः महीने का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का नामांकन तथा निर्दिष्ट संस्थानों में सीटों की संख्या निर्धारण हेतु विभागीय संकल्प सं0–664 (12), दिनांक–04.05.2026 सह–पठित शुद्धि–पत्र ज्ञापांक–834 (12), दिनांक–08.06.2026 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।

उक्त संकल्प की कंडिका–10 में यथा प्रावधानित छः मासिक प्रशिक्षण की समस्त प्रक्रिया / कार्रवाई का संचालन एवं देख–रेख हेतु पर्यवेक्षण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

| क्रम सं0 | पद | पदाधिकारी का नाम | पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)–सह–राज्य समुचित प्राधिकार, पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0, बिहार | डॉ0 रेखा झा | अध्यक्ष |
| 2 | अपर निदेशक, स्वास्थ्य | डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिन्हा | सदस्य |
| 3 | अपर निदेशक, स्वास्थ्य | डॉ0 संस्कृति सिन्हा बरियार, | सदस्य |
| 4 | कुलपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (बी0यू0एच0एस0) | डॉ0 बिन्दे कुमार | सदस्य |
| 5 | निदेशक, स्वास्थ्य शिक्षा, बिहार | – | सदस्य |
| 6 | विभागाध्यक्ष (रेडियोलॉजी), नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना | डॉ0 मिथिलेश प्रताप | सदस्य |
| 7 | विभागाध्यक्ष (स्त्री एवं प्रसूति रोग), पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना | डॉ0 कुमारी मंजू | सदस्य |
| 8 | राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0, बिहार | डॉ0 अभिलाषा रानी | सदस्य |
| 9 | परीक्षा नियंत्रक (बी0यू0एच0एस0) | डॉ0 अभय चौधरी (प्रभारी) | समन्वयक |

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश से,**
**मृणायक दास, सरकार के अपर सचिव।**

———————

## गृह विभाग (विशेष शाखा)

———————

### अधिसूचना
### 27 जुलाई 2026

**सं०** जी / विविध–20–26 / 2026–8645––बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 3, 2021) दिनांक–24.03.2021 से राज्य में प्रभावी है। बिहार के राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम की धारा–2(XI) एवं 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित धार्मिक स्थलों / सांस्कृतिक धरोहरों की संरक्षा एवं सुरक्षा की जवाबदेही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को सौंपते हुए इसे तुरंत के प्रभाव से विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के रूप में अधिसूचित किया जाता हैः–

1. सीतामढ़ी जिला स्थित पुनौराधाम मंदिर
2. सीतामढ़ी जिला स्थित बगही धाम
3. वैशाली जिला स्थित बुद्धा अवशेष स्तूप
4. सारण जिला स्थित हरिहरनाथ मंदिर (सोनपुर)
5. विष्णुपद मंदिर, गयाजी
6. तख्त श्री हर मंदिर साहिब जी, पटना साहिब, पटना
7. महावीर मंदिर, पटना
8. विश्व शांति स्तूप, राजगीर, नालंदा
9. नालन्दा विश्वविद्यालय के खंडहर, नालंदा
10. विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर, भागलपुर
11. शेरशाह का मकबरा, सासाराम

2.उक्त प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के हवलदार पद से अन्यून तैनात अधिकारी को कर्त्तव्य के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 की धारा–7, धारा–8 एवं धारा–9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**क्षत्रनील सिंह, विशेष सचिव।**

———————

## गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

———————

### अधिसूचना
### 22 जुलाई 2026

सं० 3 / विविध–50–20 / 2024 गृ0आ0 9048––विधि एवं व्यवस्था और अपराधों के निवारण एवं उद्‌भेदन से संबंधित संदेशों के पारेषण के लिए राज्य में बेतार संचार की व्यवस्था बिहार पुलिस रेडियो संगठन के माध्यम से स्थापित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर बिहार पुलिस रेडियो संगठन प्राकृतिक आपदा आदि एवं राज्य सरकार अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा निदेशित संवादों का पारेषण आदि की व्यवस्था भी करता है।

2. बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सिपाही (प्रचालक / तकनीकी) के पद पर नियुक्त होने वाले कर्मियों को बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम–1232 के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण के साथ–साथ Directorate of Coordination Police Wirless (DCPW), New Delhi द्वारा निर्धारित Police Wireless Operator (PWO) Grade-III चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण अनिवार्य है। सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक / तकनीकी) के पदों पर नव नियुक्त कर्मियों को 9 महीने की अवधि का PWO Grade-II चर्या में बुनियादी प्रशिक्षण तथा पुलिस अवर निरीक्षक को DCPW, New Delhi द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप PWO Grade-I का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

3. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम–1232 में राज्य पुलिस रेडियो मुख्यालय में प्रशिक्षण केंद्र के क्रियाशील / प्रावधान होने का उल्लेख किया गया है किंतु वर्त्तमान में "बिहार पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान" अधिसूचित नहीं है।

4. बिहार पुलिस रेडियो संगठन में लगभग 1500 पदाधिकारियों / कर्मियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया जा चुका है। नियमित नियुक्ति के उपरांत बुनियादी प्रशिक्षण के साथ–साथ विशेषीकृत वितंतु प्रशिक्षण की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम–1232 के प्रावधान के आलोक में टी.एक्स. भवन, पटना को "बिहार पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान" के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**मनोज कुमार सिन्हा, उप सचिव।**

———————

**Home Department**
**(Police Branch)**

———————

**NOTIFICATION**
**23rd July 2026**

No. 7/CCA-101/2025 H(P) 9129--Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice **Sudhir Singh** as the Acting Chief Justice of Patna High Court, who was the Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 2024.
2. National Security Act, 1980.
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

| | |
|---|---|
| Hon'ble Mr. Justice **Rajeev Ranjan Prasad** | **Chairman** |
| Hon'ble Mr. Justice **Birendra Kumar**(Retired) | **Member** |
| Hon'ble Mr. Justice **Nawneet Kumar Pandey** (Retired) | **Member** |

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar,
**Kiran Mala Pauria,** Deputy Secretary to the Government.

———————

**वाणिज्य–कर विभाग**

———————

**अधिसूचना**
**28 जुलाई 2026**

सं० कौन/भी–28/2017–231/सी––श्रीमती उर्मिला कुमारी, तत्कालीन वाणिज्य–कर उपायुक्त, दानापुर अंचल, दानापुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा व्यवसायी सर्वश्री लखन इन्टरप्राईजेज(VAT/TIN-10048299067) को निबंधन प्रदान करने एवं सृजित की गयी सुविधा के विरूद्ध कर वसूली करने में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की गयी।

सर्वश्री लखन इन्टरप्राईजेज द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत करदेयता तिथि 25.04.2016 दर्शाते हुए दिनांक–29.04.2016 को निबंधन हेतु ऑनलाईन आवेदन दाखिल किया गया। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निबंधन हेतु ऑनलाईन आवेदन के आलोक में निबंधन आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी दाखिल किये जाने की तिथि से अगले एक कार्य दिवस की अवधि में निबंधन आवेदन का निष्पादन किया जाना था परन्तु श्रीमती कुमारी द्वारा व्यवसायी से निबंधन हेतु दाखिल आवेदन की हार्ड कॉपी की प्राप्ति की तिथि 02.05.2016 को ही VAT/TIN-10048299067 आवंटित करते हुए प्रपत्र–C-I निर्गत किया गया, जिसे व्यवसायी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–21 के तहत देय कर की समूचित वसूली के लिए प्रतिभूति (Security) लिया जाना होता था तथा निबंधीकरण हेतु किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी विशिष्टियों का एक महीने के भीतर सत्यापन कराये जाने का प्रावधान था परन्तु श्रीमती कुमारी द्वारा व्यवसायी से न तो प्रतिभूति दाखिल कराने की कार्रवाई की गयी एवं न ही व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन कराया गया।

उक्त व्यवसायी द्वारा वैट निबंधन प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक–20.06.2016 से दिनांक–09.07.2016 तक की अवधि में रू0 1,75,82,528.00/– के लिए कुल 31 अद्द सुविधा प्रपत्र D-IX का सृजन किया गया। जबकि व्यवसायी द्वारा सृजित की गयी सुविधा के विरूद्ध कर का भुगतान नहीं किया गया। श्रीमती कुमारी के द्वारा MIS की दैनिक मॉनिटरिंग नहीं किये जाने से नये User का ससमय पता नहीं चल सका एवं सरकार को राजस्व की क्षति हुई।

श्रीमती उर्मिला कुमारी द्वारा व्यवसायी को निबंधन प्रदान करने एवं सृजित की गयी सुविधा के विरूद्ध कर वसूली करने में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी किये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आरोप पत्र गठित किया गया। श्रीमती कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–258/सी(अनु0) दिनांक–27.08.2019 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

श्रीमती कुमारी से प्राप्त बचाव अभिकथन को समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–388/सी दिनांक–29.11.2019 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तदोपरांत मामले में विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसके अनुसार श्रीमती कुमारी के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक/पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

मामले में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक–10/सी(अनु०) दिनांक–13.01.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा अपने पत्र दिनांक–29.01.2026 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत उनसे असहमत होते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के प्रावधान के अंतर्गत उनके पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय पत्रांक– 99/सी(अनु0) दिनांक–01.04.2026 द्वारा परामर्श/सहमति की माँग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक–1229/लो0से0आ0 दिनांक–07.07.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी के ''पेंशन से 05%(पाँच प्रतिशत) की कटौती स्थायी रूप से किये जाने'' संबंधी दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के आलोक में श्रीमती उर्मिला कुमारी, तत्कालीन वाणिज्य–कर उपायुक्त, दानापुर अंचल, दानापुर सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत) के विरूद्ध उनके पेंशन से 05%(पाँच प्रतिशत) की कटौती स्थायी रूप से किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**विजय कुमार, उप सचिव।**

———

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

———

## अधिसूचना
**27 जुलाई 2026**

सं० 14/डी0एल0ए0–एल0ए0एक्ट–नीति(S.I.A.)–खंड–क–11/2014–1320/रा0––भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अध्याय–II के अंतर्गत धारा–4 के प्रावधानों के तहत किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन कार्य के लिए विभागीय संकल्प सं0–647/रा0, दिनांक–09.05.2014, संकल्प सं0–1082/रा0, दिनांक–28.09.2018 एवं अधिसूचना सं0–43/रा0, दिनांक–12.01.2026 से SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु क्रमशः एल0 एन0 मिश्रा, आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना, ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना, आद्री, पटना, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना एवं बिपार्ड, गया को अधिकृत किया गया है।

**2**– इस क्रम में विभागीय संकल्प सं0–537/रा0, दिनांक–18.05.18 में निहित शक्ति के आलोक में SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु बिहार राज्यपाल द्वारा लोकहित में किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए SOCIAL IMPACT ASSESSMENT UNIT के रूप में कार्य करने हेतु ''बिहार इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज , पटना '' को प्राधिकृत किया जाता है।

**3**– यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जय सिंह, सचिव।**

———

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: https://egazette.bihar.gov.in**

# भाग-9-ख

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 748--I, SATYAJEET S/o Nawal kishore chaudhary R/o Vill.+PO -Belsandi PS-Chakmehsi Dist.-Samastipur 848301 Have changed my son name from Shaksham to Saksham Chaudhary for all purposes vide Afd No.53 Dt.13.04.2026.

SATYAJEET.

No. 749--I, Anuradha Kumari W/o Neeraj Kumar, R/o Vill.-Narayan Bheriyahi, P.S.-Kanti, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-5056 dt. 24.07.25 that my name is written in my daughter Suruchi Priya's all certificate as Anuradha Thakur which is wrong. As per Aadhar card my correct name is Anuradha Kumari. From now I will be known as Anuradha Kumari for all purposes.

Anuradha Kumari.

No. 750--I, Rupa Devi W/o Amar Nath, R/o Chhoti Pahari, Gulzarbagh, Agamkuan, Patna, Bihar-800007 do hereby solemnly affirrm and declare as per aff. No.-635 dt. 10.11.2025 that my name is written in my minor son Yash Raj's Class Xth all educational documents as Rupa Kumari, As per Aadhar Card my name is Rupa Devi. Above both names are same and one person. From now I shall be known as Rupa Devi for all purposes.

Rupa Devi.

No. 751--I, Amar Nath S/o Rajeshwar Prasad R/o Chhoti Pahari, Gulzarbagh, Agamkuan, Patna, Bihar-800007 do hereby sloemnly affrim and declare as per aff. No.-629 dt. 10.11.2025 that my name is written in my minor son Yash Raj's Class Xth all educational documents as Amarnath. As per Aadhar Card my name is Amar Nath. Above both names are same and one person. From now I will be known as Amar Nath for all future purposes.

Amar Nath.

No. 752--I, RAJU Prasad Yadav S/o Mukund Rai R/o Choudhary Tola, Raja Bazar, PO-B.V. College, Patna declare vide affidavit no. 6697 dtd. 04.06.26 in my daugher Aishwarya Lakshmi school record my name is wrongly mentioned Raju Prasad. Correct name is Raju Prasad Yadav.

RAJU Prasad Yadav.

No. 753--I, Pramod Kumar S/o Ramashankar Singh R/o Ward No-12, Sanchi Patti, Tangaul Hajipur, Vaishali, Bihar-844101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no.-3110 dt. 30.05.2026 that my name in written in my son Piyush Raj's C.B.S.E Class 10th and 12th all educational documents as Pramod Kumar Singh which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Pramod Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Pramod Kumar for all purposes.

Pramod Kumar.

No. 754--I, NAVYA RANI, D/o - Bhagwan Gupta, R/o – Lal imli, Patna City, Begampur, Patna, Bihar-800009. Do hearby solemny affirm and declare that in my educational document of class 10th & 12th (BSEB), my name is mentioned as NAVYA RANI. But in my Aadhar card my name is mentioned as NAVYA GUPTA. Here, both the names belong to the same person. And, from now in my future I will be known as NAVYA RANI for all my legal purposes.

Affidavit no. – 2642, Date: - 09/05/2026

NAVYA RANI.

No. 755--I, Nishi Ignatius W/o Ramesh George, R/o Fair Field Colony. Near Ashadeep School, Digha, Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3539 dt. 16.06.2026 that my name is written in my son Ankush Raymond's educational documents as Nishi Raymond. In Aadhar Card written as Nishi Ignatius. Both names are same and one person. From now I shall be known as Nishi Ignatius for all purposes.

Nishi Ignatius.

No. 756--I, **Md. Altaf Alam** S/o Mohammad Safiq R/o Ward No. 07, Madarsa Ke Pass Madhubani, P.S.- Bela, P.O- R.K. Ashram (Madhubani) Supaul, Bihar- 852125 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3284 dt. 05.06.2026 that my correct name is Md. Altaf Alam. Whereas in educational certificate my name is written as Md. Altaf. Both names are same and one person. From now I will be known as Md. Altaf Alam for all future purposes.

**Md. Altaf Alam**.

No. 757--It is general information that I, Usha Singh W/o Brajendra Kumar Singh Residing Permanent Add. Moh.- New Area Sasaram PO+PS - Sasaram Dist.- Rohtas Bihar - 821115 declare that my name Wrongly mentioned in my daughter's Vishakha Singh CBSE intermediate marksheet, Admit card & Original certificate as Shephali Mondal my correct name Usha Singh Vide Afd No.19509 Dt.16.06.26.

Usha Singh.

No. 758--I, Dhananjay Kumar Upadhyay S/o Mathura Nath Upadhyay R/o Professor Colony K.G. Road Ara, Bhojpur, Bihar-802301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1102 dt. 04.04.2026 that my name is written in son Shubh's CBSE Class 10th all educational documents as D.K. Upadhyay. In Aadhar Card written as Dhananjay Kumar Upadhyay. Both names are same and one person. From now I will be known as Dhananjay Kumar Upadhyay for all purposes.

Dhananjay Kumar Upadhyay.

No. 759-- I, **NISHANT KUMAR**, Son of Shri Ram Narayan Mahto, Resident of Village–Chanauraganj, P.S.–Jhanjharpur, District–Madhubani, Bihar - 847404. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and PAN card as well as in my educational documents my name is mentioned as **NISHANT KUMAR**. Now, I want to replace my title **'KUMAR'** with **VINIPRA.** Hence, in this way my name becomes **NISHANT VINIPRA.** Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **NISHANT VINIPRA** for all my legal purposes.

Affidavit no. – 3271, Date: - 04/06/2026

**NISHANT KUMAR**.

No. 760--I, RAMBILASH Mochi S/o Late Dileshwar Mochi R/o Village Baburahi PO-Shaligrami, PS-Sahebpur Kamal, Dist.- Begusarai, Bihar. At Present R/o Village -Sonpur Adam, Ward no. 13, PO+PS-Sonpur, Dist.- Saran, Bihar. I want to change my name from Rambilash Mochi to Rambilash Rahi. Affidavit no. 1371/28.04.2026

RAMBILASH Mochi.

**सं0 760--मैं रामविलास मोची, पिता- स्व. दिलेश्वर मोची, ग्राम- बाबूराही, पो.- शालिग्रामी, थाना- साहेबपुर कमाल, जिला- बेगूसराय, बिहार, हाल पता- ग्राम- सोनपुर आदम, वार्ड-13, पो. + थाना- सोनपुर, जिला- सारण, पिन कोड-841101, राज्य बिहार का निवासी हूँ । मैं अपना नाम रामविलास मोची से बदलकर रामविलास राही रखना चाहता हूँ । शपथ पत्र संख्या 1371 दिनांक 28.04.2026**

**रामविलास मोची ।**

No. 761--I, Dilip kumar Mishra, S/O. Late Ramchandra Mishra, R/o.- Pandit Ramanand Mishra lane, Churi Market, Nala Road P.o.- Kadamkuan District-Patna Bihar 800003 do solemnly affirm and declare as per Affidavit No. 622 dated- 13/07/2026 That my name is mentioned in my Aadhar card Dilip kumar Mishra Correct. But my daughter's Ayushi Gautam 12th C.B.S.E Certificate my name has been wrongly mentioned as Dilip kumar Jha. That from now I will be known as Dilip kumar Mishra for All future purpose.

Dilip kumar Mishra.

No. 762--I, Mukarram Hussain Khan S/o Ahmad Khan R/o Ahilwara, P.O-Ahilwara, Ram Nagar Darbhanga, Bihar-847203 do hereby solenly affirm' and declare as per aff. No. 1878 dt. 07.04.2026 that Saakrin Praween in my minor daughter. Her name is mentioned in her educational certificate as Saakrin Praween. In Aadhar Card mentioned as Saakrin Perween. Both names are same and one person. From now she shall be known as Saakrin Praween for all futuere purposes.

Mukarram Hussain Khan.

No. 763--I, Laxmi Narayan Verma, S/o. - Chhotan Saw, R/o - vill- Jahangirpur, Belao, P.O. - Belaw, Dist. - Sheikhpura, Bihar - 811101. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (ANISH KUMAR) educational document of class 10th (CBSE), my name is mentioned as LAKSHMI NARYAN SAW. But, in my Aadhar as well as in my PAN Card my name is mentioned as LAXMI NARAYAN VERMA. Here, both the names belong to the same person. And, from now in my future I will be known as **LAXMI NARAYAN VERMA** for all my legal purposes.

Affidavit no. – 2812, Date: - 15/05/2026

Laxmi Narayan Verma.

No. 764--I, SWARNA, D/o - Nabind Kumar Singh, R/o - Gram - Dudhaila Gaacchi, Naya Tola, Sonepur, Post - Sonepur, DIST - Saran, Bihar - 841101. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and in my PAN card as well as in my educational documents my name is mentioned as SWARNA. Now, I want to add the title 'SINGH' to my name. Hence in this way my name will become 'SWARNA SINGH'. Here, both the names SWARNA and SWARNA SINGH belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as SWARNA SINGH for all my legal purposes.

Affidavit no. -3198, Date: - 08/04/2026.

SWARNA.

सं० 765––मैं कमलेश दिसवा, पिता हरिशंकर दिसवा, ग्राम–तारा बसवरिया, पो०–अमोलवा, थाना गैनाहा, जिला–प० चंपारण। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में जयराम कुमार नाम अंकित है जो गलत है। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जयराज दिसवा अंकित है जो सही है। श०प०सं० 5585, दि० 12.02.2026

**कमलेश दिसवा।**

No. 766--I, ARUNIMA SINGH, W/o- Ranjeet Gautam, R/o- Panchwati, Indira Nagar, Road no. – 3, Postal Park G.P.O., Patna, Bihar- 800001. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (YAMINI GAUTAM) Aadhar card as well as in her educational documents her name is mentioned as YAMNI GAUTAM. But, in her birth certificate her name is mentioned as YAMINI GAUTAM. Here, both the names belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known **YAMINI GAUTAM** for all her legal purposes.

Affidavit no. -2997, Date: - 23/05/2026.

ARUMIMA SINGH.

सं० 767--मैं स्मिता सिन्हा पति-लोकेश कुमार सिन्हा, निवासी मोहल्ला लाला सुन्दर लाल लेन, आलमगंज चौकी, थाना-आलमगंज, पो०-गुलजारबाग, जिला-पटना-7, की निवासी हूँ। शपथ पत्र सं०-1570, दिनांक-08/05/2026 यह कि मैं स्मिता सिन्हा उर्फ स्मिता मिथिलेश प्रसाद उर्फ स्मिता प्रसाद तीनों एक ही महिला का नाम है, मैं तीनों नामों से जानी व पहचानी जाती हूँ। मेरा आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में स्मिता मिथिलेश प्रसाद अंकित है। यह कि ड्राईविंग लाईसेंस में मेरा नाम स्मिता प्रसाद है। यह कि अब मैं सिर्फ स्मिता सिन्हा के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

स्मिता सिन्हा।

No. 768--I, Manas Goutam S/o Shankar Kumar Jha R/o vill.-Goari, P.O.-Noneti, P.S.-Basnahi, Distt.-Saharsa, State-Bihar, Pin code-852217, do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card, my name is written as Manas Gautam. In my educational certificate name is written as Manas Goutam. That Manas Goutam and Manas Gautam both are same and one person. That from now I will be known as Manas Goutam for all purpose. Affidavite No.-389 date 15.7.26.

Manas Goutam.

सं० 769--मैं, राजेश कुमार यादव, पिता-रघुराज प्रसाद यादव, निवासी-लक्ष्मीनारायणपुर, पो.-पौड़ शाहमोहम्मदपुर, थाना-तिसीऔता वैशाली बिहार, शपथ पत्र सं. -13843 दि. 01.06.26 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र Nishant Raj के मैट्रिक उत्तीर्ण के सभी प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Rajesh Yadav दर्ज हो गया है। आधार कार्ड में मेरा नाम Rajesh Kumar Yadav दर्ज है। उपरोदत दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मैं स्वयं हूं। भविष्य में सभी कार्य हेतु मैं Rajesh Kumar Yadav के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

राजेश कुमार यादव।

No. 770--I, Noorjahan Khatoon, D/o Jafir Ahamad, R/o Aswari Banjariya, Muzaffarpur, declare vide affidavit No. 03/92 dated 30/05/2026 that my legal name across educational certificates is Noorjahan Khatoon. My Aadhaar card currently reads 'Noorjaha Khatoon' and will be updated to Noorjahan Khatoon. Henceforth, I shall be known as Noorjahan Khatoon.

Noorjahan Khatoon.

No. 774—I, Puja Kumari, D/O Sachida Nand Pandey, W/O Varun Kumar Pandey, R/O-Permanent Add. Vill + P.O- Karup, PS- Karakat, Dist – Rohtas Vide Affd No. 2392, Dated 23-06-2026 shall be known as Puja Pandey for all purposes.

Puja Kumari.

सं० 774—मैं, पूजा कुमारी, पुत्री सचिदा नंद पांडे, पत्नी वरूण कुमार पांडेय, पता– ग्राम+पोस्ट– करूप, थाना– काराकाट जिला रोहतास शपथ पत्र संख्या 2392, दिनांक 23.06.2026 अनुसार पूजा पांडेय के नाम से जानी जाऊँगी।

पूजा कुमारी।

No. 775—I, Manjusha Singh, daughter of Sheo Chandra Singh, wife of Santosh Kumar Singh, resident of Flat No. 204, Block No. H, Agrani Homes, IOB Nagar, Sarari, Danapur, District- Patna, Pincode- 801105, permanent address Village- Barughat, Post- Nateya, Police Station- Kudra, District- Kaimur, Pincode- 821109, state via Affidavit No. 2393, dated 23.06.2026 that name in my Aadhar card is Manjusha Singh and my name in my educational certificates is Manjusha Kumari. Now in the future, I shall be known and recognized by the name Manjusha Singh.

Manjusha Singh.

सं० 775—मैं, मंजुषा सिंह, पुत्री शिव चंद्र सिंह, पत्नी संतोष कुमार सिंह, पता– फ्लैट नं०– 204, ब्लॉक नं०–H, अग्रणी होम्स, आई० ओ० बी० नगर, सरारी, दानापुर, जिला– पटना, पिनकोड– 801105, स्थायी पता गाँव बारूघाट, पोस्ट– नटेया, थाना– कुदरा, जिला– कैमूर, पिनकोड– 821109, शपथ पत्र संख्या 2393, दिनांक 23.06.2026 मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मंजुषा सिंह है एवं मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्र मेरा नाम मंजुषा कुमारी है। अब मैं भविष्य में मंजुषा सिंह के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

मंजुषा सिंह।

No. 776—I AM Arvind Kumar Gupta father Rameshwar Prasad Sakin llamram Chowk Bettiah, Town thana Bettiah, Dist West Champaran, I am a permanent resident. Affidavit No. 4773/29-01-26. I declare that my name has been written as Arvind Kumar in the 10th and 12th marksheet of my son Priyanshu Agarwal. Where as my name in Aadhar Card is Arvind Kumar Gupta. Both Arvind Kumar Gupta and Arvind Kumar are my names. From now on I will be known and known as Arvind Kumar Gupta.

Arvind Kumar Gupta.

No. 777—I, Subodh Kumar Sinha S/o Sri Laxmi Nandan Prasad Sinha R/o Ashok Nagar, Road No.-8. Kankarbagh, Patna-800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 477. dt. 01.04.2026 that my correct daughter's name has been erroneously recorded in her Aadhar Card as Akancha Kumari. Her correct name is Akancha Sinha. Both names are same and one person. From now she will be known as Akanksha kumari for all purposes.

Subodh Kumar Sinha.

No. 778—I, Nisha Devi, W/o Sadeep Kumar, R/o Bakarganj, Imlital, Ward No.-38, P.S.-Kadamkuan, P.O.-Bankipur, Patna, Bihar-800004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3581 dt. 17.06.26 that my daughter's name is Kashish Kumari which is written in her educational documents. Whereas in her Aadhar card written as Gauri Kumari. Both names are same and one person. From now she shall be known as Kashish Kumari for all purposes.

Nisha Devi.

सं० 779—मैं, दिव्या भारती (DIVYA BHARTI), पिता–रंजीत शर्मा, नयी सराय, बिहार शरीफ, जिला–नालंदा, बिहार, 803101, शपथ पत्र सं०–18738, दिनांक 06.06.26 द्वारा सूचित करती हूं कि भारती कुमारी (BHARTI KUMARI) एवं दिव्या भारती (DIVYA BHARTI) दोनों एक ही महिला का नाम है, जो मैं स्वयं हूं। अब मैं भविष्य में सभी कार्य हेतु दिव्या भारती (DIVYA BHARTI) के नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी।

दिव्या भारती।

No. 780—I, Mohammad Irfan Ahamad S/o Abdul Mannan, R/o Mansha Tola, Bettiah, West Champaran, Distt.-Bettiah, Pin-845438 Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3051 dt. 26.05.26 that my name is written in my daughter Alviya Perween's C.B.S.E. Class 10th educational documents as Md. Irfan Ahmad. In C.B.S.E. Class 12th educational documents as Mohammad Irfan Ahmad. In my Aadhar card written as Mohammad Irfan Ahamad. Both names are same and one person. From now I will be known as Mohammad Irfan Ahamad.

Mohammad Irfan Ahamad.

No. 781— I, ABDUL MAJID S/o - MD ALIMUDDIN resident of Village / Mohalla - Faringgora P.O.+ P.S - Kishanganj Dist - Kishanganj PIN - 855108 Bihar do hereby solemnly affirm and declare that in my matriculation certificate my name is mentioned as ABDUL MAJID RAZA. And in my Aadhar, PAN, VOTER ID, Driving Licence as well as in my Passport my name is mentioned as ABDUL MAJID. Here both the names ABDUL MAJID RAZA and ABDUL MAJID belongs to the same person i.e me . And from now in my future, I will be known as ABDUL MAJID for all legal purposes.

Affidavit No - 3922/18-04-2026.

ABDUL MAJID.

सं० 795––मैं इशिता, पिता - अजय कुमार, ग्राम -बलथी, पोस्ट - बलथी रसूलपुर, थाना बोचहाँ, जिला - मुजफ्फरपुर, पिन कोड - 843118 मेरे आधार कार्ड एवं मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम इशिता अंकित है, अब मैं भविष्य में इशिता आनंद के नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी। शपत्र पत्र सं० 18340 दिनांक - 01.04.2026

इशिता।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**

**बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0।**

**Website: https://egazette.bihar.gov.in**

# बिहार गजट
# का
# पूरक(अ0)
# प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 8 / आ0(मु0राज0नि0)–3–03 / 2022–**4761**
**मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**

**संकल्प**
**29 जुलाई 2026**

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निजी लाभ के लिए कैसरे–हिन्द की भूमि, वक्फ की भूमि, श्मशान घाट की भूमि, मार्टिन रेलवे की भूमि का अवैध निबंधन करने तथा कार्यालय के कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव एवं प्रशासनिक विफलता पाये जाने एवं वित्तीय अनियमितता का भी मामला प्रकाश में आया है। श्री सिंह का यह आचरण समय समय पर निर्गत सरकारी निदेशों, बिहार निबंधन नियमावली, 2008, बिहार निबंधन अधिनियम, 1908 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रावधानों के प्रतिकूल है जैसा कि संलग्न आरोप में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जाय। इस अनुशासनिक कार्यवाही के लिए श्री सुशील कुमार सुमन, उप निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक, भोजपुर, आरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।**

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**संजय कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।**

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: https://egazette.bihar.gov.in**